सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा | शुक्रवार, तिथि 19 मार्च, 2021 ई०
द्वितीय सत्र | 28 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आसन ने हमको निर्देशित किया था कि.

अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक बार बात हम अपनी रख लेते हैं । दो मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर लेंगे । महोदय, आसन से निर्देश था कि हमने मंत्रियों के दागी होने के बारे में जो बात कही थी, हमने सदन में भी कहा था कि 60 फीसदी से भी ज्यादा मंत्री जो हैं, वह दागी हैं । आपने तथ्य पेश करने के लिए बोला था, तो जो तथ्य हैं, वह हम लेकर आये हैं....

अध्यक्ष : 12 बजे, प्रश्नोत्तर काल के बाद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह । मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-63 (श्री राज कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-144, मटिहानी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - स्वीकारात्मक है ।

2 - स्वीकारात्मक है ।

3 - यथोचित बढ़ोतरी अगले वित्तीय वर्ष में की जायेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-64 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0-126, महुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2 - उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अलग से यूनिट/सेंटर नहीं है । किन्तु हड्डी रोग विभागों में स्लिप डिस्क

एवं स्पाईन सर्जरी संबंधी इलाज होता है और मरीजों को इन बीमारियों के इजाल हेतु राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है ।

निम्नांकित अस्पतालों में उक्त रोग का इलाज होता है:-

1) लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना
2) पी0एम0सी0एच0, पटना
3) एन0एम0सी0एच0, पटना
4) डी0एम0सी0सच0, लहेरियासराय
5) अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया
6) जवाहरलाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर
7) आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना
8) ए0आई0आई0एम0एस0, पटना

3 - राज्य सरकार द्वारा लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में स्पाईन इंजरी सेंटर के निर्माण का नीतिगत निर्णय लिया गया है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि पी0एम0सी0एच0, आई0जी0आई0एम0एस0 और सब जगह स्पाईन डिस्क और सब जगह उसका इलाज हो रहा है । लेकिन वहां अभी जो स्थिति है कि पी0एम0सी0एच0 और राजवंशी नगर कहीं भी स्पाईन का इलाज नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो पिछले दो साल का रिकॉर्ड माननीय मंत्री देने का काम करें कि किसका-किसका इलाज हुआ है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं दो साल का नहीं दो दिन पहले का दे देता हूं । यह अखबार का छपा हुआ मैं सदन पटल पर रख देता हूं । रीढ़ की दो हड्डियों की डिस्क खिसक गयी थी, पी0एम0सी0एच0 में नि:शुल्क सर्जरी, ऑपरेशन से ठीक की गयी स्लिप डिस्क की समस्या । महोदय, यह दो दिन पहले का अखबार है, माननीय सदस्य यदि पढ़े होते तो इसकी पूरी जानकारी होती, मैं इसे सदन पटल पर रख देता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो स्थिति है कि जितनी स्पीड में पी0एम0सी0एच0 में मरीज जाता है, सौ की स्पीड में, तो दो सौ की स्पीड में बाहर भागता है । वहां न तो बेड है और न इलाज की समुचित व्यवस्था है और डॉक्टर की कितनी कमी है, वह माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि वहां पर स्पाईन का कोई डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर और स्पाईन का डॉक्टर, दोनों अलग-अलग डॉक्टर होते हैं । मैं भी डॉक्टर हूं और मुझे भी पता है कि हर डॉक्टर की अलग-अलग विशेषता होती है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, ये तस्वीर छपी हुई है । स्लिप डिस्क का ऑपरेशन जिन डॉक्टरों ने किया है, ऑपरेशन करते हुए यह तस्वीर छपी हुई है । मैं सदन पटल पर रख रहा हूं, माननीय सदस्य इसको देख लें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, कौन डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर का नाम तो बता दें । किस डॉक्टर ने इलाज किया है, जरा स्पाईन का डॉक्टर कौन हैं, उनका तो नाम बता दें ।

अध्यक्ष : पूरी डिटेल माँगियेगा, तो पूरी डिटेल प्रश्न में आनी चाहिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सर, हमने तो डिटेल पूछी थी कि इसमें स्पाईन का इलाज होता है कि नहीं । आखिर राज्य के बाहर क्यों मरीज जाते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा सबूत क्या दे सकते हैं । दो दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था, उसका समाचार फोटो सहित पेपर में आया था जिसे मैंने रख दिया सदन पटल पर ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-65 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्तमान में संपूर्ण राज्य में निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी ''कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा0 लि0 और सम्मान फाउण्डेशन, पटना'' के द्वारा 102 एम्बुलेन्स सेवा का परिचालन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, प्राथमिक अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में किया जा रहा है ।

2 - 102 एम्बुलेन्स के परिचालन व्यय के भुगतान हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि प्राप्त होती है, जिसमें माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों के परिचालन हेतु भी राशि शामिल होती है ।

समय-समय पर राज्य के जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुरोध एवं अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यहित एवं जनहित में 102 एम्बुलेन्स के फ्लीट में माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों का परिचालन कराया जाता है, क्योंकि माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों के नियमित परिचालन हेतु राशि उपलब्ध नहीं होती है ।

3 - 102 एम्बुलेन्स सेवा के अनुबंध के आलोक में सेवा प्रदाता को ही 102 एम्बुलेन्स सेवा के तहत परिचालित सभी एम्बुलेन्सों के रोड टैक्स, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि पर किए जाने वाले व्यय का भार वहन करना है । समय से रोड टैक्स,

इन्श्योरेन्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र की राशि जमा नहीं करने के फलस्वरूप लगने वाला दण्ड शुल्क भी सेवा प्रदाता को ही जमा करना पड़ता है ।

सेवा प्रदाता के माध्यम से संचालित सभी 102 एम्बुलेन्स का बीमा, रोड टैक्स तथा प्रदूषण अद्यतन है ।

4 - उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है 102 एंबुलेंस से जुड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी का जवाब है । मेरा यह कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिला में माननीय सांसद राधामोहन जी की 09 एंबुलेंस, राम देवी जी की 03, ढाका विधायक की 02, सुगौली एच0पी0सी0एल0 की 05 और संजय जायसवाल, एम0पी0 की 04, ये 23 एम्बुलेंस हैं । कुल 45 एम्बुलेंस मोतिहारी जिला में चल रही हैं, जो फाउंडेशन कम्पनी को दिया गया है और सांसद विधायक की जो एम्बुलेंस हैं, उस पर भी डेढ़ लाख रुपये प्रति महीना उठाव करता है सम्मान फाउंडेशन । अध्यक्ष महोदय, ये वित्तीय अनियमितता का मामला है और मंत्री जी का जवाब है कि उसका टैक्स फेल नहीं है । मेरे पास पेपर है, हम यह दे रहे हैं । महोदय, इसको शामिल कर लिया जाय । ये जो बीआर 01 पीए 1119 है, ये गाड़ी का रोड टैक्स फेल है, इस गाड़ी की छ: साल छ: महीने की एज है, ये एक साल समाप्त हुए हो गया...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछने की बजाय डिटेल में रह जाइयेगा, हम आगे बढ़ जायेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूरक यह है कि माननीय सांसद विधायक मद की जो एम्बुलेंस है, उसका संचालन कम्पनी के द्वारा किस नियम के तहत किया जा रहा है, जबकि उसके एग्रीमेंट में यह शामिल नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने खण्ड-2 के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 102 एम्बुलेन्स के परिचालन व्यय के भुगतान हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि प्राप्त होती है, जिसमें माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों के परिचालन हेतु भी राशि शामिल होती है । समय-समय पर राज्य के जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुरोध एवं अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यहित एवं जनहित में 102 एम्बुलेन्स के फ्लीट में माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों का परिचालन कराया जाता है, क्योंकि माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेन्सों के नियमित परिचालन हेतु राशि उपलब्ध नहीं होती है । महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सांसद और विधायक अपनी निधि से एम्बुलेंस देते हैं, अपने पैसे से खरीदकर एम्बुलेंस तो दे दिये, लेकिन एम्बुलेंस चलेगी

कैसे? उस पर ड्राइवर, उस पर टेक्नीशियन, उसका तेल का खर्चा, यह कहां से आयेगा । तो वह पैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आता है, प्रतिवर्ष उसकी पी0आई0पी0 स्वीकृत होती है भारत सरकार के द्वारा और जितनी एम्बुलेंस मिलती हैं माननीय सांसद और माननीय विधायक के द्वारा वह उस फ्लिट में शामिल किया जाता है और जो एम्बुलेंसों का परिचालन होता है, वह एक तरीके से पूरे राज्य में होता है और उसमें इसको शामिल किया जाता है । माननीय विधायक और सांसद की जो एम्बुलेंस आती हैं उसके परिचालन के लिए अलग से कोई राशि नहीं आती है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

(व्यवधान)

अब इतना डिटेल में जवाब आ गया ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम तीन पूरक पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ?

अध्यक्ष : डिटेल में जवाब आ गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि तीन पूरक पूछेंगे ही । जब जवाब आ गया है । बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-66 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2 - उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम-2011 के आधार पर बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं संशोधित नियमावली, 2019 में खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु प्रशिक्षण एक अनिवार्य योग्यता थी । किन्तु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त परामर्श (दिनांक-06.03.2020) के अनुसार खाद्य संरक्षा अधिकारी का चयन के पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, लेकिन चयन के उपरांत नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण कराना अनिवार्य है ।

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं संशोधित नियमावली, 2019 में एफ0एस0एस0ए0आई के परामर्शानुसार आवश्यक संशोधन अपेक्षित होने के कारण विज्ञापन संख्या- 03/2020 को रद्द किया गया है ।

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं संशोधित नियमावली, 2019 में संशोधन की जा रही है । अगले 3 माह में संशोधन होने के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी ।

3 - उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य में खाद्य संरक्षा पदाधिकारी के कितने पद सृजित हैं, कितने पद पर लोग कार्यरत हैं ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप क्यों पूछने लगे ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : और अगर पद खाली हैं, तो क्या राज्य की जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थ खिलाकर ....

अध्यक्ष : रामानुज बाबू, हम पहले भी कह चुके हैं कि आप डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त में पूरक पूछिये । आप भूमिका बनाइयेगा, तो आगे बढ़ जायेंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूँ ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारा जो सवाल है, उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनका विभाग विज्ञापन निकालता है और विज्ञापन निकालने में विभाग गलती करता है और उसके बाद लोग आवेदन करते हैं । फिर, दूसरी बार उनसे आवेदन मांगा जाता है और अभ्यर्थी दुबारा आवेदन करते हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी पैसा....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न । क्या पूरक है ? यह बताइये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सरकार उसको भी रद्द कर कहती है कि कानून में संशोधन करेंगे, तो कानून...

अध्यक्ष : चलिये, आप पूरक नहीं पूछियेगा । श्री विजय ...

डॉ. रामानुज प्रसाद : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । कई लोगों के प्रश्नों का जवाब होना है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जवाब है, तो उसी में पूछ रहा हूँ कि क्या माननीय मंत्री बतायेंगे ....

अध्यक्ष : दो सेंटेन्स में ज्यादा विद्वान लोग पूरक पूछें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : कि संशोधित नियम से अविलंब नियुक्ति कराने का विचार सरकार रखती है और रखती है, तो कितने दिनों में ?

अध्यक्ष : बस इतनी सी ही बात । बताइये, माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार बिल्कुल विचार रखती है और हमने अपने जवाब में यह कहा है कि अगले तीन माह में संशोधन होने के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी । मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

(व्यवधान)

आगे का प्रश्न होने दीजिये । समय से हम बंधे हुए हैं, रामानुज बाबू । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-67 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य में बिजली कम्पनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिजली संबंधित शिकायतों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में साप्ताहिक शिविर लगाकर शिकायतों का निबटारा ससमय किया जाता है । शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1912 जारी किया गया है । क्षेत्रीय कार्यालयों में साप्ताहिक शिविर लगने से ऑनलाइन कंप्लेन की संख्या में निरंतर कमी आई है । प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों का निबटारा भी ससमय किया जाता है ।

2 - उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य में मीटर लगाने के बाद मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्र बनाया जाता है । उपभोक्ताओं से अधिक बिल संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उनका निबटारा ससमय किया जाता है । विदित है कि वर्तमान में सभी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है । इसके उपरांत भविष्य में इस तरह की शिकायतों की संख्या कम हो जाएगी ।

3 - राज्य में बिजली कम्पनी के द्वारा साप्ताहिक शिविर अवर प्रमंडल स्तर पर लगाकर उपभोक्ताओं के बिलिंग संबंधी एवं अन्य शिकायतों का निबटारा ससमय किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, रामानुज बाबू ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं और कितनी का निबटारा हुआ है ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में यह निहित नहीं है । अगर माननीय सदस्य अलग से पूछेंगे कि कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिस शिकायत की उन्होंने चर्चा की है कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसका जिक्र मैंने उत्तर में दिया है और कितना है, इसके लिए अलग से पूछेंगे, तो उसका उत्तर उनको मिल जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

अब आगे बढ़ चुके हैं । आप पुराने सदस्य हैं । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-68 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2 - पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउण्ड जांच की व्यवस्था नि:शुल्क है। एक्स-रे पी0पी0पी0 मोड में राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना, बिहार द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा मरीजों को नि:शुल्क किया जाता है, साथ ही विभागीय एक्स-रे मशीन द्वारा भी संस्थानों में एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जाती है ।

3 - अस्वीकारात्मक है ।

4 - स्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पैथोलॉजी जांच एक्स-रे से जुड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी ...

अध्यक्ष : आपके प्रश्न को लोग देख रहे हैं । आप जवाब देख चुके हैं, अब पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूँ । पूर्वी चम्पारण जिला में वर्ष 2016 से लेकर अभी तक 8 लाख 49 हजार ओ0पी0डी0 हुए हैं, 2 लाख 97 हजार पैथोलॉजी हैं, 36 हजार 900 अल्ट्रासाउंड हैं और 85 हजार 186 एक्स-रे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, लगभग 60 परसेंट जांच हुई है, टोटल ओ0पी0डी0 के मरीजों में से । जो कहीं से विश्वसनीय नहीं है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हम जो सूची सौंपेंगे, माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जवाब मिला है और मेरे पास भी है । ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । आप डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, वही तो कह रहे हैं....

अध्यक्ष : सभी को अगले सदस्यों के प्रश्न की भी चिंता करनी चाहिए ।

टर्न-02/सुरज-संगीता/19.03.2021

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि 60 परसेंट मरीजों की जांच हो गई...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक क्या है ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मेरा पूरक है कि इस मामले में जो सूची हम सौपेंगे, जो फर्जी जांच दिखाया गया है माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : बिल्कुल ।

अध्यक्ष : बिल्कुल, चलिये ठीक है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-69 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

विभागीय पत्रांक-1152(17) दिनांक-14.12.2020 द्वारा विभागाध्यक्ष के चयन का दायित्व एवं शक्ति संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य में निहित की गयी है । वैसे विभाग जिसमें नियमित प्राध्यापक नहीं हैं, उसमें प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्ष नामित किये गये हैं । यह सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के प्रतिकूल नहीं है ।

3- राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभागों के विभागाध्यक्ष का प्रभार के विषय पर पुनर्विचार हेतु विभाग स्तर पर विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है जिसकी अनुशंसा प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उत्तर दिया हुआ है । माननीय मंत्री जी से...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये, शॉर्ट में ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है, संविदा पर जो प्राध्यापक नियुक्त हैं उनको स्थायी नहीं माना जाता है, सरकारी नहीं माना जाता है । उनको आप क्यों हेड बना रहे हैं ? जो परमानेंट टीचर हैं आप उनको क्यों नहीं हेड बना रहे हैं ? और...

अध्यक्ष : यही पूरक है न ?

श्री ललित कुमार यादव : यही है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री ललित कुमार यादव : कितने दिनों में, आप कहे हैं कि विभाग में पुन: विचार हो रहा है...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : तो कितने दिनों में यह पुन: विचार करके...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, विभागाध्यक्ष बनाने का एक विधिवत नियम है और जो प्राध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं वही एच0ओ0डी0 होते हैं और यदि उस कॉलेज के, उस विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं हैं तो फिर जो संविदा पर कार्यरत प्रोफेसर होते हैं उनको एच0ओ0डी0 बनाया जाता है और ये जो एच0ओ0डी0 बनाने का निर्णय है उसकी शक्ति जो है वहां के चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य में निहित होती है और जहां के संदर्भ में चर्चा माननीय सदस्य ने किया है उसके बारे में हमने पता करवाया । वहां पर चूंकि रेगुलर प्रोफेसर नहीं हैं इसलिए संविदा पर जो प्रोफेसर हैं, उनको एच0ओ0डी0 बनाया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-70 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र सं0-138, विभूतिपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि यह वरीयता क्रमांक बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की है न कि इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के सेवा संवर्ग की ।

3- इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में छः संवर्ग कार्यरत हैं सभी संवर्गो की अलग-अलग वरीयता क्रमांक निर्धारित है ।

4- वस्तुस्थिति यह है कि इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में निदेशक के रिक्त एकल पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-232(17) दिनांक-18.02.2020 द्वारा अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है, परन्तु नियमित नियुक्ति हेतु अनुशंसा अप्राप्त रहने के कारण मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग में वरीयतम डॉ0 सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक जो एम0डी0 (औषधि) योग्यताधारी हैं को संस्थान की प्रशासनिक निरंतरता बनाये रखने के उद्देश्य से अल्प अवधि के लिये निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना का प्रभार दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : जी, मैं पूरक पूछ रहा हूं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैबिनेट का निर्णय था कि कार्डियोलॉजिस्ट को ही वहां डायरेक्टर में नियुक्त करना था लेकिन जिनको नियुक्त किया गया वे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं तो फिर जो सीनियर थे उनको नियुक्त करना चाहिए था । दोनों में से कोई...

अध्यक्ष : आपका पूरक है कि सीनियर को क्यों नहीं किया गया । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से पढ़े हुए छात्र होते हैं उन्हीं लोगों में से कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वे कार्डियो डिपार्टमेंट के हेड नहीं हो सकते हैं । जिनके संदर्भ में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वे रेडियोलॉजिस्ट हैं तो रेडियोलॉजिस्ट को कार्डियो के हेड के रूप में नहीं रखा जा सकता है पहली बात ये है । दूसरा विषय यह है कि यह तात्कालिक व्यवस्था की गई है, परमानेंट नियुक्ति के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । वहां जिस अर्हता की बात माननीय सदस्य ने की है वह बिल्कुल सही है, वह अर्हता होनी चाहिए । कैबिनेट की वही स्वीकृति है । उस अर्हता के अनुसार नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को उसकी अधियाचना भेजी गई है । अभी यह तात्कालिक व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजय कुमार : मंत्री जी, मुझे जानना है कि दोनों जब मेडिसिन से हैं जिनके सीनियर मोस्ट जो हैं वे मेडिसिन से हैं और जिनको किया गया है वे भी मेडिसिन से हैं तो सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं किया गया ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : नहीं महोदय, जिनका किया गया है वे मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग से हैं डॉ0 सुनील कुमार और जिनकी चर्चा हो रही है वे रेडियोलॉजी संवर्ग से हैं डॉ0 विद्यानंद जी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज आठ अल्पसूचित प्रश्न थे और आठ सदन पटल पर आया और जवाब हुआ । स्वास्थ्य विभाग ने 100 परसेंट, ऊर्जा विभाग ने 100 परसेंट जवाब दिया, एक बार उनका स्वागत भी हो । चलिए, एक सकारात्मक...

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट पहले खत्म हो गया...

अध्यक्ष : और 5 मिनट पहले भी खत्म हुआ । चलिए बहुत अच्छा । तो एक चीज बता दें...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

बड़े सहमे हुए हैं आसन से आज...

अध्यक्ष : आसन से कोई नहीं सहमे हुए हैं । आसन सबके प्रति जवाबदेह है और आज तो मैं चाहता हूं कि सभी सदस्यों का अभिनन्दन हम करें क्योंकि आपलोगों ने सदन चलाने में पूरा सहयोग किया है इसलिए एक बार पुन: आप सबका हम अभिनन्दन करते हैं ।

माननीय सदस्यगण, हमलोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार देने की नियमावली लोक सभा के अंदर भी बनी हुई है और अपने यहां भी आप

लोगों के सुझाव और हमारे कई वरीय अभिभावक भी बैठे हैं, 9 बार, 8 बार, 7 बार के लोग भी बैठे हैं इनके अनुभवों को समाहित करते हुए, ठीक है कि बहुत सारे नए मंत्री हैं, विधान सभा अध्यक्ष भी नए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नए हैं । सबको सुनने का मौका और सीखने का मौका भी मिल रहा है तो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा । इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और बिहार विधान सभा मुख्य भवन की रजत अनुकृति शामिल होगी । यह पुरस्कार उत्कृष्ट विधायक को दिया जायेगा, जिसका चयन पुरस्कार समिति द्वारा किया जायेगा । यदि पुरस्कार समिति किसी वर्ष किसी को पुरस्कार न देने का निर्णय करती है तो यह तदनुसार सिफारिश कर सकेगी । पुरस्कार की घोषणा अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा विनिर्दिष्ट समय में किया जायेगा । अर्हता, बिहार विधान सभा का सदस्य इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अर्हत होगा तथापि सदस्य, जिसे एक बार यह पुरस्कार मिल गया है, उसके नाम पर परवर्ती वर्षों में पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जायेगा ।

पुरस्कार समिति और अन्य बातों के लिये, इस की नियमावली के लिए आप लोगों से हम सुझाव मागेंगे, उसको समाहित करते हुए एक बार विस्तार से ताकि बिहार की जो छवि है, बिहार के सदस्यों की छवि और सम्मान तथा राज्य के जनहित की समस्याओं के प्रति यहां के लोगों की गंभीरता के बारे में पूरे देश के अंदर यह संदेश जाय। यही हमारी आप सबों से कामना है ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे और तारांकित प्रश्न में भी मैं आज बता दूं कि ऊर्जा विभाग से 100 परसेंट, स्वास्थ्य विभाग से 100 परसेंट, पर्यटन विभाग से 100 परसेंट, आपदा प्रबंधन विभाग से 100 परसेंट, विधि विभाग से 100 परसेंट जवाब आये हैं।

अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-'ए' 1766 (श्री देवेश कांत सिंह, क्षेत्र सं0-111, गोरेयाकोठी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-'ऐ' 1908 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0-100, बरौली)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : 1- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना से प्राप्त तारांकित प्रश्न में गोपालगंज जिलान्तर्गत विगत वर्ष में आयी बाढ़ के फलस्वरूप गन्ना की फसल की हुई क्षति के आलोक में कृषकों को फसल क्षति का मुआवजा देने का उल्लेख किया गया है ।

2- उक्त संदर्भ में विभागीय पत्रांक-905/आ0प्र0 दिनांक 18.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया स्मरण किया जाय । वर्णित प्रश्न में

उल्लिखित है कि वर्ष 2020 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के निमित कृषि इनपुट अनुदान वितरित करने हेतु आपके द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में कुल 10 अरब 5 करोड़ 50 लाख 21 हजार रुपये आवंटित की गई है । इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि यदि गन्ना की फसल क्षति सम्मिलित है तो प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाय । यदि गन्ना की फसल क्षति सम्मिलित नहीं है तो जाँचोपरांत आवश्यकतानुसार राशि की अधियाचना की जाय । इसलिए यह कृषि विभाग से रिलेटेड है, पैसा भेज दिया गया है, कृषि विभाग के पास स्थानांतरित हो गई है, कृषि विभाग बांटेगा ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, उस दिन माननीय मंत्री, कृषि विभाग के द्वारा जवाब दिया गया तो उस दिन स्थानांतरण कर दिया गया आपदा प्रबंधन विभाग में और आज इनके द्वारा फिर कृषि विभाग में किया जा रहा है । आखिर उन किसानों को मुआवजा कब मिलेगा ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे कि हमारे यहां से पैसा 10 अरब, 5 करोड़, 50 लाख, 21 हजार रुपये ऑलरेडी कृषि विभाग को आवंटित कर दी गई है, वहां से ही कृषि अनुदान जायेगा ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, एक प्रश्न पूछेंगे । जिस पत्र को माननीय उपमुख्यमंत्री जी पढ़ रही हैं, उसमें अंत में लिखा है 'अतएव अनुरोध है कि विषयांकित प्रश्न का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय को ससमय भेजने की कृपा की जाय ।' यह उत्तर ही अधूरा है महोदय। आखिर एक समय बता दिया जाय कि उन किसानों को कब तक वह मिल पायेगा ?

टर्न-3/मुकुल-राहुल/19.03.2021

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई कंफ्यूजन है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2615 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र संख्या-73, मधेपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है और सरकार का कहना है कि सोलर मेगा.

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, अभी सोलर मेगा प्रोजेक्ट का कोई विचार सरकार के अंदर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य में, चूंकि एटॉमिक प्लांट प्रोजेक्ट से या हैडल प्रोजेक्ट से या कोल प्रोजेक्ट से महंगी बिजली उपभोक्तओं को मिलती है तो सस्ती

बिजली उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में सोलर मेगा प्रोजेक्ट की कोई योजना है सरकार के पास ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इन्होंने मधेपुरा के संबंध में स्पेसिफिक प्रश्न किया है । अभी फिलहाल इस पर कोई मामला नहीं है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा उसका एक वर्क प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसको कंसिडर किया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है, श्री अजीत कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2616 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-201, डुमरांव)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सभी संविदागत नियोजनों में बिहार सरकार के आरक्षण प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन किया गया है । तृतीय वर्गीय पदों पर नियोजन के पूर्व आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना से रोस्टर क्लियरेंस कराने के उपरान्त स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-74(2) दिनांक-25.01.2017 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति का गठन कर संविदागत नियोजन किया गया ।

3. उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन जवाब आया हुआ है लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है उसका आधा जवाब आया है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह: मैं पूरक पूछ रहा हूं । जैसा मैंने इसमें सवाल दो उठाया था, एक तो यह था कि आरक्षण को उसमें लागू किया गया है या नहीं तो इसका जवाब आया है कि रोस्टर से हुआ है लेकिन दूसरा है कि जो उसमें नियुक्ति हुई है उसमें से उस महाविद्यालय में जो पूर्व के कर्मी हैं उनके ही सगे-संबंधियों का ही हुआ है तो इसका जवाब हमको नहीं मिला है इसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि आरक्षण प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन किया गया है । आवेदन में इस आरक्षण के अनुसार/अर्हता के अनुसार जो योग्य व्यक्ति होंगे उनका चयन हुआ होगा ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है कि मेरे पास पांच लोगों का नाम है, पांच कर्मियों का नाम है जिनकी इस बहाली में बहाली हुई थी, वर्ष 2017-18 में । जिनके रिश्तेदारों के भी नाम इसमें है, अगर आसन आदेश देगा तो मैं नाम पढ़कर सुना दूंगा । मैं पांच लोगों का नाम इसमें लाया है जिनकी उसी नियुक्ति में बहाली हुई है और उनके जो

रिश्तेदार हैं, जिनके ऊपर मेरा आरोप है कि रिश्तेदारों के प्रभाव की वजह से हुआ है उन रिश्तेदारों के भी नाम हैं तो पांच लोगों के नाम मेरे पास हैं अगर सदन अनुमति देगा तो मैं पढ़कर सुना दूंगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उसकी कॉपी आप माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा, वह इसको दिखवा लेंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह: महोदय, तो क्या इस पर, महोदय, करप्शन का एक बहुत बड़ा मामला है वर्ष 2017 में । महोदय, एक सेकंड ।

अध्यक्ष: आप जो संज्ञान में ला रहे हैं माननीय मंत्री जी देखेंगे, उसके बाद ही इसका जवाब देंगे न।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी को दे देंगे लेकिन क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे और कब तक जांच करवाकर इसकी रिपोर्ट देंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: बिल्कुल-बिल्कुल निष्पक्षता से उसकी जांच होगी, आप उसकी सूची हमको दे दें ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री सुरेन्द्र राम ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कौन सी एजेंसी से जांच करवायेंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गुस्सा हो जाते हैं, ये आराम से बोलें ।

अध्यक्ष: आपके बहुत प्रिय और शुभचिंतक हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: हमारे बहुत नजदीकी हैं । महोदय, माननीय सदस्य जिस शंका को व्यक्त किये हैं, ऐसा यदि कहीं हुआ होगा तो दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी और मुख्यालय के वरीय अधिकारी से मैं उसकी जांच करवाऊंगा ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री सुरेन्द्र राम ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'ओ' 2617 (श्री सुरेन्द्र राम, क्षेत्र संख्या-119, गरखा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2618 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या-126, महुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री: 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ 11 लाख 47 हजार रूपये की योजना स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पुनपुन पंचायत के जाहिदपुर टोला के पास पुनपुन नदी में छठ घाट के निर्माण, चेंज रूम, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इत्यादि कार्य किया जाना है । बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के माध्यम से उक्त कार्य को

कराया जा रहा है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अप्रैल, 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

3. जिला पदाधिकारी, पटना से विभागीय ज्ञापांक-543, दिनांक-10.03.2021, स्मार दिनांक-15.03.2021 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन अप्राप्त है।

4. पर्यटन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा जाहिदपुर टोला के पास पुनपुन नदी के किनारे लगभग 100 फीट लम्बाई में पक्का छठ घाट का निर्माण कराया गया है । उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग । अभी बैठ जाइये माननीय सदस्य पूरक पूछेंगे ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी, 2018 को सार्वजनिक मंच से घोषणा की गई थी कि इसका निर्माण कराया जायेगा, पुनपुन में जो पिण्ड स्थान है वहां पर । लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया और न श्री घाट बनाया गया, न छठ घाट बनाया गया और न ही वहां पर आज तक कोई भी पदाधिकारी देखने भी नहीं गया कि निर्माण हुआ कि नहीं । महोदय, तीन साल हो गया और आज तक कोई भी वहां पर सुनवाई लेने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है ?

श्री मुकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बताया जाए कि कब तक निर्माण करायेंगे चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीन साल हो गया है घोषणा किये हुए ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कब तक ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जवाब में क्लियर है कि 100 फीट लम्बाई का छठ घाट बना हुआ है और 2 करोड़ 11 लाख 47 हजार रुपये की योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पुनपुन पंचायत के जाहिदपुर टोला के पास पुनपुन नदी में छठ घाट के निर्माण, चेंज रूम, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इत्यादि कार्य किया जाना है । बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के माध्यम से उक्त कार्य को कराया जा रहा है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1 अप्रैल, 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

अध्यक्ष: ठीक है । इन्होंने जवाब दे दिया है कि 1 अप्रैल, 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: महोदय, इसमें तीसरा जो है उसमें तो दिया गया है कि जिला पदाधिकारी पटना से विभागीय ज्ञापांक-543, दिनांक-10.03.2021 को स्मार पत्र प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

अध्यक्ष: जो किया गया है इन्होंने आपको उसकी जानकारी दी है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: महोदय, अभी तक तो लंबित है, वहां की जो स्थिति है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी, 2018 में घोषणा की हुई है और मुख्यमंत्री जी को घोषणा किए हुए 3 साल हो गए हैं अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रतिवेदन ही मांगा, दिया जा रहा है । कम से कम मंत्री जी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का तो ख्याल रखें या मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, तो किए थे कि नहीं किए थे ? घोषणा किए हैं तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री: वर्ष 2018-19 में जो घोषणा की गई है उसमें 2 करोड़ 11 लाख 47 हजार का काम प्राक्कलन घाट के निर्माण के लिए सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इत्यादि कार्य किया जाना है उसमें 65 प्रतिशत काम पूरा हो गया है इसे अप्रील, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2619 (श्री भरत बिन्द, क्षेत्र संख्या-205, भभुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है । सभी तीन मृत तीन ममता कार्यकर्त्ताओं के परिजनों को 4,00,000/- (चार लाख) रुपये अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

(3) उपयुक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री भरत बिन्द: महोदय, कृष्णा देवी, पति-मुन्ना राम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र...

अध्यक्ष: यह तो भुगतान कर ही दिए हैं इसमें क्या पूरक पूछिएगा ?

श्री भरत बिन्द: महोदय, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाँद तथा मिथिलेश कान्ती जो सदर अस्पताल, भभुआ में ममता के पद पर कार्यरत्त थी और सेवा काल के मृत्यु हो गई, उसके अनुदान की राशि कब तक निर्गत होगी जबकि...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब में दिया गया है कि चार लाख रुपया भुगतान कर दिया गया है, इसका मतलब आप जवाब नहीं निकाले हैं ।

श्री भरत बिन्द: महोदय, जो ममता के पद पर कार्य कर रही थी उनकी तीन की मृत्यु हुई है और एक की ही राशि गई है, चार लाख रुपये अभी तक निर्गत हुए हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: माननीय सदस्य जिन तीन ममता कार्यकर्त्ताओं की बात कर रहे हैं, तीनों के खातों में चार-चार लाख रुपया की राशि कुल 12 लाख भेजी जा चुकी है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2620 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या-146, बेगूसराय)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

(4) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बेगूसराय की स्थापना हेतु बियाडा (BIADA) को राशि का आंशिक हस्तान्तरण (3.3 करोड़) किया जा चुका है । शेष राशि का हस्तान्तरण भी एक सप्ताह में कर दिया जाएगा ।

श्री कुंदन कुमारः अध्यक्ष जी, मैं पूछता हूं । मंत्री जी का ऑनलाइन जवाब आया हुआ है ।

अध्यक्षः आप पूरक पूछिए ।

श्री कुंदन कुमारः महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा पूरक यह है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, इसकी निविदा हुई है और निविदा अभी न्यायालय में लंबित है, कुछ मामले आ गए हैं, तो न्यायालय से निष्पादित होते ही निविदा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा । भूमि के संदर्भ में जो चर्चा माननीय सदस्य की थी, राशि बियाडा (BIADA) को देने के संदर्भ में मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2621 (श्री गोपाल रविदास, क्षेत्र संख्या-188, फुलवारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, वर्णित लाईन 11 हजार किलो वोल्ट का मुख्य लाईन है, मुख्य लाईन होने के कारण उक्त लाईन को हाई वोल्टेज एरियल बंच केबल से बदलना उचित नहीं है । उक्त 11 हजार किलो वोल्ट लाईन के 15 पोल पर वीजल कन्डक्टर से अधिक क्षमता वाले डॉग कन्डक्टर द्वारा इन 15 पोलों पर तार बदलने का कार्य जून, 2021 तक कर लेने का लक्ष्य है । इससे संरचना अधिक सुदृढ़ हो जाएगी ।

श्री गोपाल रविदासः महोदय, इसमें हमारे द्वारा जो पूछा गया था कि प्लास्टिक तार का, लेकिन यह सेंसेटिव इलाका है तो क्या उस तार पर प्लास्टिक वाला पाईप नहीं चढ़ाया जा सकता है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, यह टेक्निकल मैटर है मैंने कहा है, जो उत्तर है कि अभी 11 हजार किलो वोल्ट की जो लाईन है इसे वीजल कन्डक्टर से आपूर्ति की जा रही है, वीजल कन्डक्टर से अधिक क्षमता वाले डॉग कन्डक्टर द्वारा इन 15 पोलों पर तार बदलने का कार्य जून, 2021 तक कर लिया जाएगा ताकि कोई खतरे की संभावना नहीं रहेगी यह उत्तर में स्पष्ट है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2622 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र संख्या-73, मधेपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सदन अस्पताल मधेपुरा में पदस्थापित शेष चिकित्सक निर्धारित रोस्टर के अनुसार अपनी सेवा दे रहे हैं । वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात् कुल 6338 पद रिक्त हैं । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार रिक्त पदों पर चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी । पदस्थापित संस्थान में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभाग के द्वारा कठोर अनुश्रवण प्रारम्भ किया गयाहै । इस क्रम में दिसम्बर, 2020 से अब तक 243 चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है ।

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, सरकार का उत्तर आया है और मैं समझता हूं कि गोलमटोल उत्तर है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिए, उसको सीधा कर दीजिए ।

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, वही कर रहा हूं । महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि रोस्टर में ड्यूटी की बात सरकार ने कही है, तो क्या सरकार ड्यूटी की रोस्टर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? दूसरा महोदय, मैंने यह कहा है कि हेडक्वाटर में 54 में से 22 डॉक्टर ही कार्यरत्त हैं और हेडक्वाटर में 5 ही रहते हैं, बाकी के हेडक्वाटर में...

अध्यक्ष: एक ही बार में पूछिएगा फिर दुबारा मत उठिएगा । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, बिल्कुल रोस्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा, माननीय सदस्य चाहेंगे, तो उनको भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी ।

अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार यादव ।

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, कब तक ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, आज शाम में उनको उपलब्ध हो जाएगा ।

टर्न-4/यानपति-अंजली/19.03.2021

अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2623 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-16, कल्याणपुर)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2624 (श्री आलोक कुमार मेहता, क्षेत्र संख्या-134, उजियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- विचाराधीन है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछ लें ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, 4 दिसंबर, 2018 की कैबिनेट मीटिंग में बीसवें प्रस्ताव के रूप में यह पारित किया गया कि जो एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हैं और आयुष डॉक्टर हैं सब का मानदेय बराबर दिया जायेगा । 2007 को उसी आलोक में एक आदेश निकला 16(ए) 327/13 इस आदेश के तहत एम.बी.बी.एस. का मानदेय बढ़ा दिया गया, इस तरह का आदेश निकला । आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मेरे पास सारे पत्र हैं, उसके बाद बिहार सरकार ने एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया, लेकिन आयुष डॉक्टरों का मानदेय नहीं बढ़ाया ।

अध्यक्ष: पूरक क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मानदेय बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट से 2018 में लिये जाने के बाद विभाग अभी तक माननीय मंत्री जी, ने उत्तर दिया कि अभी तक विचार कर रही है । क्या विभाग कैबिनेट से ऊपर है या जो जांच करता है...

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, जल्द से जल्द आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया जाय और...

अध्यक्ष: ये सुझाव हुआ आपका ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, समय सीमा, कब तक बढ़ायेंगे ?

अध्यक्ष: कब तक बढ़ायेंगे, माननीय मंत्री जी ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने जिस 2018 के कैबिनेट बैठक की चर्चा की है, उसी बैठक के आलोक में आयुष चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाकर 44,000 किया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसके पहले आयुष चिकित्सकों को अपने राज्य में 22,000 और 24,000 के दो स्लैब में उन लोगों को वेतन दिया जाता था और 22,000 से 24,000 से बढ़ाकर सीधा 44,000 उस 2018 के कैबिनेट के निर्णय के आलोक में किया गया है, उसके बाद यह ठीक है कहना माननीय सदस्य का, उसके बाद एम.बी.बी.एस. के चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाया गया है और जो अंतिम उनका प्रश्न है कि आयुष चिकित्सकों के बारे में क्या, तो मैंने कहा है कि ये विचाराधीन है और सरकार विचार कर रही है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, कैबिनेट का निर्णय चार लाइन का है, मैं पढ़कर के सुनाता हूं । संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों एन.आर.एच.एम., एन.आर.बी.एस.के.

को एलोपैथ क्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान मानदेय देने एवं आयुष एवं संस्थानों में स्वीकृत बल के विरुद्ध नियोजित संविदागत चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों को भी एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय के समान मानदेय स्वीकृत किये जाने के संबंध में और यह प्रपोजल स्वीकृत हो गया । महोदय, यह समान मानदेय देने की स्वीकृति पहले कैबिनेट ने दे दी है । ऐसा नहीं था कि पहले से कोई लंबित था, अब आगे कोई भी निर्णय हो रहा है उसमें आयुष डॉक्टरों को छोड़ दिया जा रहा है, जब एक बार कैबिनेट का निर्णय हो गया तो फिर उसके बराबर होना चाहिए था महोदय...

अध्यक्ष: ठीक है, आपका सुझाव ग्रहण किये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, स्पष्ट हो जाय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उनके ध्यान में होना चाहिए उसके पहले मैंने बोला 22,000 और 24,000 का दो स्लैब मिलता था जो 2018 का, कैबिनेट का निर्णय हुआ, मैं उस कैबिनेट का सदस्य हूं और मैं उस विभाग का मंत्री हूं, मुझे जानकारी है उस निर्णय के बाद ही उनका 44,000...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए । मैंने निर्णय किया है...

अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य बैठ जाइये, मंत्री खड़े हैं तो सुन लीजिए, ये उचित नहीं है । आप वरीय लोग पहले सुन लीजिए, मंत्री जी का सुन लीजिए, उसके बाद बोलिये, आप वरीय लोग हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार का यह बहुत पहले से निर्णय था कि जो हमारे एम.बी.बी.एस. के चिकित्सक हैं उनके बराबर आयुष चिकित्सकों को भुगतान किया जायेगा और उस समय विसंगति थी और उसी विसंगति को दूर करने के लिए उस कैबिनेट की बैठक में वह निर्णय करके, जिस दिन का वह निर्णय है, आप देख लीजियेगा उसी दिन एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों को भी 44,000 मिलता था और उसके समतुल्य आयुष चिकित्सकों का 44,000 किया गया, उसके बाद में एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों का वेतन बढ़ा है, तो हम आयुष के भी बढ़ाने के बारे में विचार रखते हैं यह मैं कह रहा हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है, बोलिये । लास्ट पूरक है आपका ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, उसमें कैबिनेट में जो निर्णय था वह दोनों का मानदेय समान होगा अब कहीं ग्रेस देने की बात नहीं है । महोदय, सब को समान, बराबर का दर्जा दिया गया है इसलिए सब को समान वेतन की बात थी और महोदय, हम एक का बढ़ा देंगे फिर दूसरी बार आंदोलन करेगा, उसके बाद फिर हम उसको बढ़ायेंगे कैबिनेट निर्णय बार-बार

नहीं, एक बार निर्णय लिया जा चुका है महोदय, इसको परमानेंटली लागू करने की मांग करता हूं और मैं चाहता हूं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, आलोक जी ने स्पष्ट रूप से पढ़कर के बताया है उसमें सामान्य वेतन जो है वह देने की बात है । उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बढ़ाने की बात है । जो मिल रहा है उनको, वही दूसरों को भी मिलेगा यह स्पष्ट रूप से कैबिनेट रूट की बात है तो कैबिनेट में अगर नहीं है तो आलोक जी आपको भिजवा देंगे आप निकलावकर के दिखवा लीजियेगा, आप ही का निर्णय है तो आप एक बार गौर कर लीजिए...

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: इसमें सामान्य है वह होना चाहिए महोदय, इसमें चाहेंगे कि मंत्री जी जो हैं जो कैबिनेट का है उसका पालन करे, इनका विभाग ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री नीतीश मिश्रा। श्री संजय सरावगी जी अधिकृत हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-2625(श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

गोल्डेन कार्ड किसी परिवार का नहीं अपितु लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों का बनाया जाता है । नवागन्तुक सदस्यों का नाम जोड़कर गोल्डेन कार्ड बनाने की समुचित व्यवस्था है । लाभार्थी गोल्डेन कार्ड बनने के बाद ही स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारण के द्वारा । Addendum-II Beneficiary Identification Guidelines Dated 28-07-2020 के द्वारा लाभार्थी परिवार में 01.04.2011 के बाद जन्म, गोद लेने अथवा विवाह के फलस्वरूप परिवार से जुड़े नवागन्तुक सदस्य का नाम जोड़ने हेतु स्पष्ट प्रावधान है जिसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आया हुआ है कि यह मामला है कि जिसको आयुष्मान कार्ड है उसमें जो जन्म, गोद लेने अथवा विवाह के फलस्वरूप...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष दिखवा लेने के लिए कहे, उन्होंने कह दिया देख लेने के लिए । अब आपका पूरक समाप्त हो गया ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गोल्डेन कार्ड है, मतलब आयुष्मान भारत में जिनका परिवार का नाम है, उसमें नया जन्म हो रहा है या नई शादी होकर के जो महिला आ रही है उसका गोल्डेन कार्ड बनाने की बात है । माननीय मंत्री जी ने कहा है जवाब में

01.04.2011 के बाद जो भी जन्म हुआ है या शादी हुई, उसको भी उस परिवार में समाहित कर के उसका गोल्डेन कार्ड बनेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, गोल्डेन कार्ड जो नया है उसका बन नहीं रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नवागन्तुकों का अभी तक जो उसका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है । अभी तक कितने लोगों का ऐसा जो है कार्ड बना है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नगत नहीं है प्रश्न पूछेंगे, बता दूंगा ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बना है तो मैंने पूछा कि कितना बना है तो ठीक है बाद में दे देंगे कि कितना बना है लेकिन बन नहीं रहा है कहीं भी, इसलिए माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक बार फिर से नियमावली में है कि बनना है क्या एक बार फिर से दिशा-निर्देश देंगे क्या ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट नियमावली है, member edition is permitted to existing P.M.J.A.Y. eligible household only if the date of birth, date of adoption, date of marriage, registration is on or after 01.04.2011 यह कागजात देने के बाद वह बनने ही बनने हैं महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, एक बार क्या दिशा-निर्देश पुन: क्योंकि है नहीं, यह नियमावली में है एक बार फिर से दिशा-निर्देश...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का आदेश है ।

अध्यक्ष: भारत सरकार के आदेश को और नजदीक से समझ लीजिये आप । श्री महबूब आलम ।

तारांकित प्रश्न सं0- 2626 (श्री महबूब आलम, क्षेत्र संख्या-65, बलरामपुर)

श्री महबूब आलम: पूछता हूं महोदय ।

अध्यक्ष: क्या पूछे, पूरक ?

श्री महबूब आलम: महोदय, मैंने उत्तर देखा नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, उनकी बात मान ली है...

श्री महबूब आलम: इस बात का क्या मतलब जब देखे ही नहीं हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, जो उनका प्रश्न था उसका समाधान हो गया...

अध्यक्ष: कोई कभी नहीं देख सके हैं तो आसन हेल्प तो करेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: इसीलिए तो ऑनलाईन किया गया है, माननीय सदस्य देख लेते न ?

अध्यक्ष: आप अभिभावक हैं, आप इतनी जोर से डॉंटियेगा तो महबूब साहब तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, याद दिलाते हैं, डांटते कहां हैं ?

अध्यक्ष: महबूब साहब बोलिये, क्यों नहीं देखे ऑनलाईन ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, आजकल ऐसा हो गया है कि फोन जो है एक बार में किसी से बात ही नहीं हो पाती, टावर की इतनी बड़ी समस्या रहती है इंटरनेट...

अध्यक्ष: उनको बोलने देते आप हेल्प करने लगते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: कॉल ड्रॉप मिनिस्टर बी0जे0पी0 के ही हैं...

अध्यक्ष: अब आप हर चीज में राजनीति नहीं करिये । बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैं बता देता हूं महबूब साहब ।

1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-325(17) दिनांक- 15.03.2021 के द्वारा संविदागत दंत चिकित्सकों के लिए चौधरी कमिटी की अनुशंसा लागू की जा चुकी है । वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए एक माह में लागू कर दी जाएगी ।

श्री महबूब आलम: महोदय, मेरा पूरक है । वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है मेरा एक पूरक है कि एरियर के साथ भुगतान करने का सरकार इरादा रखती है कि नहीं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय जो अनुशंसा चौधरी कमिटी की लागू हुई है उसके आलोक में चौधरी कमिटी की जो भी अनुशंसा होगी उस अनुशंसा का पूर्णत: पालन किया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री मनोज मंजिल ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2627 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र संख्या-195, अगिआँव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । सदर अस्पताल, आरा में वर्तमान में दो ऑपरेशन थियेटर हैं, एक सामान्य ऑपरेशन थियेटर तथा दूसरा परिवार कल्याण का ऑपरेशन थियेटर । सदर अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । सदर अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में ओ0टी0 लैंप तथा इमरजेंसी लैंप उपलब्ध है । इमरजेंसी में कार्डिक मॉनिटर एवं ई0सी0जी0 की सुविधा उपलब्ध है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मनोज मंजिल: महोदय, लेकिन यह जवाब फर्जी है ।

अध्यक्ष: क्या ?

श्री मनोज मंजिल: महोदय, ऑपरेशन थियेटर, मैं आपको बता दूं कि दो ऑपरेशन थियेटर वहां नहीं है, एक है ऑपरेशन थियेटर जिसमें डिलीवरी होती है ऑपरेशन से, गोली लगा उसी में, हर्निया का उसी में, किडनी, पीत की थैली का, स्टोन का ऑपरेशन उसी में, हड्डी का ऑपरेशन उसी में, हाइड्रोसिल का भी और एक तरफ उसी में महिला अर्द्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में पड़ी रहती हैं और उसी में पुरुष अर्द्धनग्न अवस्था में और नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं । यह मेरा सवाल है और वहां पर मेरी फोटो है, यह जो आप बोले हैं कि ओ0टी0 लाईट है वहां ओ0टी0 लाईट नहीं है, यहां सदन में जैसा बल्ब है न, वैसा भी बल्ब वहां पर नहीं है । महोदय, एक साधारण सा बल्ब लटका हुआ है नंगी तार में और इसलिये वहां बुनियादी सुविधा का अभाव है और यह जो आपका जवाब है मंत्री महोदय कि सेकेंड ऑपरेशन थियेटर है वह है केवल...

टर्न-5/सत्येन्द्र/19-03-21

अध्यक्ष: मंजिल जी, आप इतना समय अगर एक-एक सदस्य लेंगे, पूरक सीधे डायरेक्ट पूछिये। आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो पूरक कम शब्दों में पूछिये ?

श्री मनोज मंजिल: सेकेंड ऑपरेशन थियेटर बनना चाहिए और इमरजेंसी में...

अध्यक्ष: चलिये, आपका सुझाव है ठीक है ।

श्री मनोज मंजिल: और इमरजेंसी में वहां पर कार्डियेक मॉनिटर भी नहीं है महोदय, इमरजेंसी में कार्डियेक मॉनिटर और ई0सी0जी0 मशीन भी नहीं है और जवाब दिया गया है कि है तो हम चाहेंगे कि आप समिति बनाकर इसकी जांच करवा लीजिये ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: मैं इसको दिखवा लेता हूॅ महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है, दिखवा लेते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे यह गंभीर मसला है महोदय, उन्होंने सबूत भी पेश किया है महोदय, फोटो भी दिखाया है जवाब जो है सही नहीं आया है इसलिए हम तो चाहेंगे कि जिन्होंने जवाब दिया है उस पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी तो पूरी गंभीरता से कहे हैं कि हम दिखवा लेते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: हम चाहते हैं महोदय कि जो सदर अस्पताल है उसके लिए मूलभूत सुविधाएं इनके लिए क्या क्या है, जरा सदन को अवगत कराने का काम करेंगे कि एक सदर अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए?

अध्यक्ष: ये अलग से प्रश्न लायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय,यह इसी से जुड़ा हुआ है..

अध्यक्ष: नहीं, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है । आप यह अलग से प्रश्न लायेंगे, माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे । श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2628(श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव,क्षेत्र सं0-17,पिपरा)

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: सर, ऑनलाईन जवाब नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप ध्यान नहीं देते हैं उनकी ओर, उन्होंने कहा कि हम इसको गंभीरता से देख लेते हैं। (व्यवधान) इतना दिन तक आप उनको बताये क्यों नहीं थे ? बैठिये। माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग।

(व्यवधान)

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाईए । आपको उस दिन भी बता देते हैं बैठिये पहले । सुन लीजिये, एक ही पूरक हुआ है, आप नये सदस्य हैं, आप यहां के बाद जाकर बाहर में स्टेटमेंट देते हैं जब आप पूरक पूछते है उसके बाद कोई दूसरा सदस्य उठ जाते हैं तो आपका खत्म हो जाता है पूरक पूछने का अधिकार, जब नेता प्रतिपक्ष उठ गये और लोग उठ गये तो फिर दुबारा, तिबारा पूरक के लिए जिद मत कीजिये, ये जानकारी रखिये नये सदस्य, इसलिए थोड़ा सा समझ कर के ही फिर कहीं बयान दें, कोई बात करें गम्भीरता के साथ । माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: जवाब तो दिया हुआ है महोदय ।

अध्यक्ष: हॉ,उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन जवाब नहीं आया है लेकिन पूरक पूछ देते हैं।

अध्यक्ष: जवाब नहीं आया है आपको तो थोड़ा निकलवाईए, रास्ते में होंगे इसलिए नहीं निकाले होंगे । माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया स्थित 33/11 के0भी0ए0 पावर सब स्टेशन से चकिया नगर का लोड कम रहने के कारण 2017 तक एक ही फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान में लोड बढ़ने पर चकिया विद्युत शक्ति उप केन्द्र से एक नये 11 के0भी0ए0 फीडर का निर्माण कर नगर की विद्युत आपूर्ति दो भागों में

विभक्त कर दी गयी है । नये 11 के0भी0ए0 फीडर से रेलवे लाईन के ऊतर स्थित उपभोक्ताओं को जिसमें अनुमंडलीय अस्पताल, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं दो उच्च विभव उपभोक्ता को विद्युत आपूर्त्ति की जाती है तथा पूराने 11 के0भी0ए0 फीडर से रेलवे लाईन के दक्षिण स्थित उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्त्ति की जाती है। 33/11के0भी0 चकिया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से 2x 2, 10 एम0भी0ए0 और 2x 2, 5 एम0बी0ए0 का पावर ट्रांसफर्मर स्थापित है । चकिया नगर हेतु दोनों 11 के0भी0ए0 फीडर को 33 के0भी0ए0 चकिया पावर सब स्टेशन से अधिष्ठापित एक ही 10 एम0बी0ए0 के पावर ट्रांसफर्मर से विद्युत आपूर्त्ति की जाती है । वर्त्तमान में नये एवं पूराने दोनों ही फीडरों में औसन 23 -23 घंटा विद्युत आपूत्ति की जाती है ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब आया है यह संतोषजनक नहीं है । हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि चकिया नगर परिषद जो है वह दो पार्ट में है, एक तरफ 70 प्रतिशत लोग रहते हैं और दूसरी तरफ 30 प्रतिशत लोग और बीचों बीच रेलवे लाईन है और जहां 70 प्रतिशत आबादी है वहां ग्रामीण इलाका के फीडर से वहां पर बिजली पहुंचती है लेकिन वहां बिजली नहीं रहती है। नगर परिषद बिजली विभाग से बात किया था कि भाई, यहां पर फीडर से जोड़ा जाय, जहां 70 प्रतिशत आबादी है वहां अलग से लाईन दिया जाय..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ?

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: पूछ रहे हैं सर, आ रहे हैं उसी पर न..

अध्यक्ष: समझाना है तो माननीय मंत्री जी से मिलकर सब बात को रख दीजियेगा ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: विभाग ने कहा था कि हम रेलवे लाईन क्रौस कर के तार ले जायेंगे लेकिन खर्च जो है वह नगर परिषद को देना होगा ।

अध्यक्ष: चलिये बैठ जाईए । श्री महानंद सिंह ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: बैठ जाईए । मिलकर के बतला दीजियेगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाईए, मिलकर के बतलाईयेगा, इतना समय बर्बाद कीजियेगा तो हो गया।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2629 (श्री महानंद सिंह,क्षेत्र सं0-214,अरवल)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: (1)अस्वीकारात्मक है। सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरियम के माध्यम से दी जा रही है ।

(2) उपर्युक्त के आलोक में आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री महानंद सिंह: महोदय, अरवल में अभी दुर्घटना के मामले में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वहां अरवल में एक्सीडेंट हो रहा है महोदय और पहले का जो पी0एच0सी0 था जो अरवल एन0एच0 पर ही बना हुआ था, अब सदर अस्पताल बन जाने के कारण वहां चला गया है और वहां चिकित्सा वाला काम नहीं होता है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ?

श्री महानंद सिंह: वहां इतना अधिक इमरजेंसी केसेज आते हैं, शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत वह पी0एच0सी0 में ओ0पी0डी0 क्यों नहीं खोला गया ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया कि जहां पी0एच0सी0 थी उस जगह पर आज भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है अब सदर अस्पताल के रूप में और मैंने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा है कि जो पी0एच0सी0 की सुविधा पूर्व में जिस स्थान पर दी जा रही थी उसके बगल में ए0पी0एच0सी0, कोरियम है वहां पर यह सुविधा दी जा रही है ।

श्री महानंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, कोरियम वहां से 5 कि0मी0 की दूरी पर है और शहरी क्षेत्र है महोदय और पी0एच0सी0 में ओ0पी0डी0 नहीं है, वहां इतना इमरजेंसी होता है कि साधारण मरीज वालों को काफी दिक्कत होती है और पुल बन जाने से अब सहार तरफ से भी लोग आते हैं दिखाने के लिए इसलिए इतना दवाब बन जाता है और डॉक्टर की कमी के कारण..

अध्यक्ष: ठीक है, आप ध्यान में ला दिये, देख लेंगे। श्री मोहम्मद कामरान।

श्री महानंद सिंह: इस पर कुछ नहीं बोले माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बोले हैं हम देख लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: मंत्री जी को स्वयं कहना चाहिए ।

अध्यक्ष: आप सब के प्रश्न पर उठियेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जायेगी । बैठ जाईए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: हमसे इनकी कुछ दोस्ती है इसलिए..

अध्यक्ष: तो आवास पर जाकर गोतियारे निभा लीजिये ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0- 2630(श्री मोहम्मद कामरान,क्षेत्र सं0- 238,गोविंदपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: 1-स्वीकारात्मक है।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है।

3- आगामी वित्तीय वर्ष में इस केन्द्र के भवन का निर्माण निधि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

श्री मोहम्मद कामरान: महोदय, इसका उत्तर आया है। मैं कुछ सुझाव के साथ पूरक पूछूंगा महोदय, इसमें आपका संरक्षण चाहिए महोदय, ये कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जो मैंने भवन निर्माण का आग्रह माननीय मंत्री जी से किया था, मैं सिर्फ एक सूचना मंत्री जी को दे दूं कि इसमें जो गांव है कौआकोल ब्लौक में, वहां से नवादा अस्पताल की जो दूरी है वह 55 कि0मी0 से ज्यादा की दूरी है और कई ऐसी घटना है महोदय, जिसकी हम साक्षी हैं कि अस्पताल ले जाते ले जाते इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देता है महोदय..

अध्यक्ष: पूरक क्या है?

श्री मोहम्मद कामरान: पूरक यह है महोदय कि भवन निर्माण के लिए मंत्री जी ने कहा है कि भवन का निर्माण निधि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी तो मैं महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि कौआकोल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको उत्क्रमित कर के भवन बनाने के लिए अगर आप यह कह दें कि 6 माह के अन्दर इसकी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जोयगी तो कौआकोल की जनता और मेरे गोबिन्दपुर की जनता आपका आभारी रहेगी महोदय ।

अध्यक्ष: उपलब्धता तो कह ही दिये कि निधि की उपलब्धता ...

श्री मोहम्मद कामरान: महोदय, समय केवल 6 माह का दे दें महोदय । मंत्री जी तैयार हैं महोदय...

तारांकित प्रश्न संख्या- 2631(श्री महबूब आलम,क्षेत्र सं0-65,बलरामपुर)

श्री महबूब आलम: मंत्री जी से उत्तर बोलवा दिया जाय महोदय, चूंकि मैंने उत्तर देखा नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज तो माननीय मंत्री जी 100 प्रतिशत जवाब भेजे हैं तो आज तो मैच में पीछे आप हैं, आगे से ध्यान में रखिये और पूरक पूछने की तैयारी कर के आईए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: 1-स्वीकारात्मक है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

3-वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 325(17) दिनांक 15-03-2021 के द्वारा संविदागत दंत चिकित्सकों के लिए चौधरी कमिटी की अनुशंसा लागू की जा चुकी है ।

श्री महबूब आलम: धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष: धन्यवाद, कस कर के बोलिये न, सुना कहां लोगों ने ?

श्री महबूब आलम: मैंने कहा सर, धन्यवाद ।

टर्न-6/मधुप/19.03.2021

अध्यक्ष : यही लोकतंत्र की खूबसूरती है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2632 (श्री रण विजय साहू, क्षेत्र सं0-135, मोरवा)

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

पर्यटन विभाग द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत खुदनेश्वर धाम मोरवा पोखर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3 करोड़ 6 लाख रूपये स्वीकृत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत घाट निर्माण, पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे, पार्किंग, अर्थ फिलिंग एवं लेवलिंग, लैण्डस्केपिंग एवं हॉर्टिकल्चर, वाटर सप्लाई पाईप लाईन, सेवरेज, ड्रेनेज साईनेज तथा लाईट की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाना है । कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शौचालय-फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है । घाट-संरचना 90 प्रतिशत पूर्ण । पाथवे-कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण ।

अध्यक्ष : आपका उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री रण विजय साहू : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में जब यहाँ गये थे, यह उत्तर बिहार का एक अनूठा मंदिर है, हिन्दु-मुस्लिम एकता का प्रतीक है...

अध्यक्ष : रण विजय साहू जी आप महबूब जी से सीखिये, पूरक कम शब्दों में और उत्तर से संतुष्टि है तो धन्यवाद देते हैं । पूरक पूछिये ।

श्री रण विजय साहू : महोदय, उत्तर से संतुष्टि नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहाँ विकसित हो रहा है । एक साल से.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे न बोलें । अच्छी बात सीखनी है, हर सदस्य को अच्छी बात सीखनी है ।

श्री रण विजय साहू : वहाँ के एजेंसी जो काम कर रहे थे विकसित करने वाले, एक साल से गायब हैं, उनका अता-पता कुछ नहीं है । मंत्री जी ने जवाब में कहा है ।

अध्यक्ष : आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं, आगे बढ़ जायेंगे फिर ।

श्री रण विजय साहू : इसमें पर्यटक क्षेत्र घोषित हो, माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में गये थे...

अध्यक्ष : ठीक है । आपका सुझाव है ।

श्री रण विजय साहू : वहाँ काम नहीं हो रहा है । जो मंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ 6 लाख रू0 स्वीकृत की गई है ।

अध्यक्ष : आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं । श्री कृष्ण नंदन पासवान ।

श्री रण विजय साहू : सर, उसका काम बढ़वाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । पर्यटन मंत्री जी, उनका काम आगे बढ़वाइयेगा । देख लीजियेगा ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2633 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र सं0-13, हरसिद्धि)

अध्यक्ष : कृष्णनंदन पासवान जी ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, क्षेत्र चले गये थे, जवाब हम देखे नहीं हैं । कृपया मंत्री जी से पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप क्षेत्र चले गये थे माननीय सदस्य, मोबाईल उठाइयेगा और रास्ता चलते-चलते देख लीजियेगा ऑनलाईन जवाब ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अगली बार से नहीं होगा महोदय । जवाब पढ़वा दीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र को हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है । निधि की उपलब्धता के अनुरूप अगले वित्तीय वर्ष में यह कार्य किया जायेगा ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2634 (श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र सं0-25, परिहार)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय 1- स्वीकारात्मक है ।
2- स्वीकारात्मक है ।
3- एक सप्ताह के अन्दर करा दिया जायेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2635 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र सं0-191, विक्रम)
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक है । विक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड नौबतपुर स्थित नगर पंचायत आरोपुर के वार्ड नं0-14 में गांगी पर कुँआ के पास दो अदद आवेदकों के द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध के लिए आयोजित कैम्प में आवेदन प्राप्त हुआ है ।

विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है एवं इन्फ्रा निर्माण का कार्य प्रगति पर है । जिसे 31 मई, 2021 तक पूरा कर आवेदक को मीटर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जायेगी ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, जवाब से संतुष्ट हैं ।

अध्यक्ष : तो धन्यवाद दीजिये न ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2636 (श्री अशोक कुमार, क्षेत्र सं0-132, वारिसनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1.अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वारिसनगर प्रखण्ड के नागरबस्ती में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है । इसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. नागरबस्ती स्वास्थ्य उपकेन्द्र को हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में चाहरदीवारी का निर्माण करवाकर इस केन्द्र को आगामी वित्तीय वर्ष में सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछ लीजिये ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, जवाब में बताया गया है कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के विषय में, हमें जानकारी दी जाय कि इसका संचालन कब शुरू हो जायेगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सुचारू रूप से संचालित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2637 (श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल एक ही परिसर में है । रेफरल अस्पताल, बड़हिया संचालित है, जो 30 शैय्या का है । इस अस्पताल द्वारा स्थानीय जनता को चिकित्सा सेवा दी जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ कि इसका एक निश्चित समयसीमा बता दें ।

अध्यक्ष : क्या काफी जर्जर है ? पूछना चाह रहे हैं कि कबतक इसके नये भवन का निर्माण होगा । माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इसको मैं अपने निदेशक प्रमुख से देखवाकर करवा देता हूँ ।

अध्यक्ष : कबतक ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : समयसीमा एक निश्चित कर दें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आपका क्षेत्र है ।

अध्यक्ष : इसीलिए तो हम मदद कर रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : इस बात का ख्याल रखकर समय सीमा बताना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष के सुझाव के आलोक में और पूर्व में भी मैंने कहा कि मैं अपने डायरेक्टर इन चीफ से इसको देखवाकर उसकी मरम्मती शीघ्र करवा दूँगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2638 (श्री रामवृक्ष सदा, क्षेत्र सं0-148, अलौली)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अलौली विधान सभा क्षेत्र के धुसमुरी विशनपुर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के स्थान पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर विकसित किया गया है । यह सेन्टर संचालित है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री रामवृक्ष सदा : कबतक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री रामवृक्ष सदा : समयसीमा सर, कबतक ?

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । रामवृक्ष सदा जी पूछ रहे हैं कि कबतक ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि यह हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर विकसित किया गया है और सेन्टर संचालित है ।

अध्यक्ष : संचालित है ।

श्री रामवृक्ष सदा : शोषित, उपेक्षित, दलित, महादलित के बीच में वह हॉस्पीटल था । हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करें ।

अध्यक्ष : कह तो रहे हैं कि वहाँ संचालित है ।

श्री रामवृक्ष सदा : असत्य है सर । इससे पहले भी जो जवाब मिला है, वह भी असत्य है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, उस स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मैं तस्वीर लेकर आया हूँ, यह एक तरफ का है । यह परसों मैं तस्वीर खिंचवा कर मँगवाया हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, रामवृक्ष सदा जी ।

श्री रामवृक्ष सदा : नहीं महोदय, भवन नहीं है ।

अध्यक्ष : रामवृक्ष सदा जी, बैठ जाइये, मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : वीडियो दिखाना चाहिए न ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वीडियो भी दिखा देंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : संचालित का वीडियो दिखाना चाहिए । फोटो तो कुछ भी खींचकर ले आइयेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : यदि नेता प्रतिपक्ष वह देखना चाहते हैं तो वह भी दिखवा दूँगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोग इलाज करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, उसका आत-पता चलता ।

श्री अजय कुमार : अगर भवन वहाॅ नहीं है तो जाॅच करा लेनी चाहिए चूंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भवन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बहुत गम्भीर सवाल है । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि भवन बना है और माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं उनका कहना है कि भवन नहीं है तो इसकी जाॅच होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये सभी लोग । माननीय मंत्री जी, आप इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2639 (डाॅ0 सी0एन0 गुप्ता, क्षेत्र सं0-118,छपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कचनार ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा था । इस भवन के निर्माण में हुए विलम्ब को देखते हुए इस स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नये सिरे से निर्माण कराने का निर्णय लेते हुए BMSICL के माध्यम से निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है डाॅक्टर साहब । पूरक पूछिये ।

डाॅ0 सी0 एन0 गुप्ता : महोदय, यह उपकेन्द्र लगभग 10 वर्षों से अर्द्धनिर्मित है । क्या संवेदक या विभागीय इसपर कार्रवाई की जा सकती है ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूॅं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, पूर्व में इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा था और चूंकि काफी वर्ष बीत गया है इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब उस पुराने भवन को बनाने का कोई मतलब नहीं है । नए भवन का निर्माण BMSICL के माध्यम से अगले साल में हम करायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2640 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0-116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि उक्त स्थलों पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है ।

3. इन केन्द्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के अनुरूप यह कार्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पानापुर प्रखंड के अन्तर्गत एडीशनल और वहीं उप स्वास्थ्य केन्द्र है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी विगत 2010-15 में स्वीकृत हुआ था ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ।

श्री जनक सिंह : वही हम पूछ रहे हैं । 2010-15 में स्वीकृत हुआ था तो वह आज तक वह नहीं बना ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री जनक सिंह : मेरा कहना है कि 7 किलोमीटर पर सतजोरा है और 7 किलोमीटर पर कोंध है और वहाँ एडीशनल हॉस्पीटल बनवाना चाहते हैं चूंकि दूरी 7-7 किलोमीटर पर है । लोगों को कठिनाई होती है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री जनक सिंह : हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर एडीशनल हॉस्पीटल बने ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : विभाग ने यह नीतिगत निर्णय किया है कि जो हमारे स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं और कुछ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में हमको विकसित करना है जहाँ 14 प्रकार की विशेष सुविधा हमको देनी है । विभाग ने यह निर्णय किया है कि इन दोनों केन्द्रों को उत्क्रमित करते हुए हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में अगले साल हमलोग विकसित करेंगे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-19 मार्च, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री रामवृक्ष सदा, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री निरंजन राय, श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी, श्री बच्चा पाण्डेय, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ।

आज सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न-7/शंभु/19.03.21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण है और आप ही का निदेश था कि....

अध्यक्ष : संक्षिप्त में चूंकि आज साढ़े 12 बजे तक ही सदन का कार्य है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : जी । आपका निदेश था कि जो हमारा बयान था उसको तथ्यों के साथ हम बात को रखें तो हमारे पास ए0डी0आर0 का रिपोर्ट है । इसमें स्पष्ट है कि मिनिस्टर विथ क्रिमनल केसेज ये 18 मंत्री यानी 64 फीसदी मंत्री ने खुद डिक्लीयर किया है ।

अध्यक्ष : उसको तो सब देख लिया । यह तो पब्लिक डोमेन में आया हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : इसको हम सदन के पटल पर रखने का काम करें ?

अध्यक्ष : आप रख दीजिए लेकिन वह तो पूरे पब्लिक के सामने रखा हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, अखबारों में भी कई बार आ चुका है ।

अध्यक्ष : देखिए, ए0डी0आर0 के अंदर में आचार संहिता को भी क्रिमिनल में शामिल कर लेता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो भी आइ0पी0सी0 सेक्शन.....

अध्यक्ष : देखिए, सभी माननीय सदस्यों का ये ए0डी0आर0 में जो डिटेल है, जो विवरण है सबके बारे में है । आप दे दें, सभा पटल पर दे दें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसमें जो मंत्री हैं इंडीविजुअली जिन-जिन लोगों का है वह भी रेकार्ड में......

अध्यक्ष : यह तो दिये ही हैं शपथ में ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, जिन्होंने डिक्लीयर खुद किया है । ये औलरेडी पब्लिक डोमेन में है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, 50 फीसदी से भी ज्यादा जो सिरियस क्रिमिनल केसेज जैसे किडनैपिंग, रॉबड़ी, बलात्कार, मर्डर ऐसे भी केसेज हैं ।

अध्यक्ष : चलिए, श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसको प्रोसिडिंग का पार्ट बनाया जाय, रेकार्ड में रखा जाय ।

अध्यक्ष : ए0डी0आर0 का सारे माननीय सदस्यों के बारे में डिटेल दिया गया है और ए0डी0आर0 को प्रोसिडिंग का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है उसको तो पूरी दुनिया और देश देखता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, हम ही से मांगा गया था ।

अध्यक्ष : ठीक है, रख दीजिए । हमने कहा कि कोई नयी जानकारी आपके पास है तो इसलिए हमने कहा था । कुछ नयी जानकारी भी है क्या ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसमें मंत्री जी का जिस चीज पर आरोप लगा है उस चीज का भी जिक्र है ।

अध्यक्ष : उसमें हमारे बारे में भी आरोप होगा । एक आचार संहिता है 10 साल पहले का उसका भी जिक्र है । अब यही समझ लीजिए कि इसमें कोई नहीं बचे हुए हैं, सब पर आरोप है । आचार संहित भी है इसमें और इसमें आप भी नहीं बचे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाय, दे दें ?

अध्यक्ष : आप सभा पटल पर रख दीजिए । वह तो पब्लिक डोमेन में है ही ।

(व्यवधान)

आज समय नहीं है, आज शून्यकाल छूट जायेगा बहुत लोगों का । मुन्ना जी बोलिये नहीं तो आगे बढ़ जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड में कोरोना काल में श्रमिक मजदूरों के रख-रखाव का जो व्यवस्था था, उसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में सरकारी पैसे का गबन किया गया, जो जिलाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय जॉंच कमिटी ने भी माना है, दोषी पर कार्रवाई करें । महोदय....

अध्यक्ष : इसमें बहस की जरूरत नहीं है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के ग्राम बजड़ा से पडरौना आनेवाली पथ आजादी के समय से कच्ची है । मैं सरकार से मांग करती हूँ कि कच्चे पथ को पक्का बनाया जाय ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बोरिया पंचायत तथा बेगूसराय के खोदावनपुर प्रखंड अन्तर्गत बाड़ा मोहनपुर पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, राज्य में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हेतु सरकारी पोर्टल पर सिख का ऑप्शन नहीं आता है । जिस कारण सिख समाज का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं बनता और सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है । मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि सरकारी पोर्टल पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हेतु सिख का ऑप्शन शामिल कर सिख समाज को लाभ दिया जाय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, नालंदा जिला के तेल्हारा बाजार की आबादी लगभग 10 हजार है और यह नालंदा जिला के पश्चिमी सिमाना पर बसा हुआ है जो जहानाबाद और नालंदा के एकंगर सराय प्रखंड के 7 पंचायतों का व्यवसाय का केन्द्र है तथा पर्यटन स्थल भी है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तेल्हारा में प्रखंड बनाया जाय ।

श्री ललन कुमार : महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्डन्तर्गत मध्य विद्यालय नन्हीबाई, बाराहाट के आम रास्ते को अतिक्रमणकारियों द्वारा पूर्णरूपेण कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण बच्चे 100 मीटर की जगह 01 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल जाने को मजबूर हैं । सरकार से उक्त आम रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, विज्ञापन सं0-1/2019 के द्वारा 4950 विशेष सर्वेक्षण अमीनों के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए आवेदन लिया गया था । इसमें मात्र 3360 की बहाली हुई । अत: मैं शेष पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकालने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, अरवल के इटवा प्लस टू हाईस्कूल में चहारदीवारी टूटा है, इंटर/मैट्रिक अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होती है कमरा की कमी है, क्लास रूम, सभा कक्ष एवं चहारदीवारी की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, घोसी विधान सभा अन्तर्गत डहरपुर से खिरौटी और उसी के बीच से बंधुगंज गांव तक सड़क गयी है । जिसका मरम्मति कार्य चल रहा है, इस क्रम में खिरौटी गांव के पास 700 मीटर छोड़ दिया जा रहा है, शेष बचे सड़क की भी मरम्मति की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती स्टेडियम बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 13 शब्दों में है ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, काराकाट कांड सं0-176/20, दिनांक-15.11.2020 के अभियुक्तों के विरूद्ध कोर्ट से कुर्की जप्ती के आदेश के बाद भी पुलिस कुर्की जप्ती नहीं की है । मुदालय डरे सहमे हैं । मैं मांग करता हूँ कि पुलिस निष्क्रियता की जॉंच व कुर्की जप्ती की अविलंब कार्रवाई हो ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, थानों में कार्यरत प्राइवेट ड्राइवरों को नियमित करने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 11 शब्दों में है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के ग्राम दरियापुर में जल निकासी हेतु नाला नहीं है, जिससे सड़क एवं यत्र-तत्र जल जमाव रहता है जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बना रहता है । अत: दरियापुर ग्राम में जलनिकासी हेतु नाला का निर्माण कराया जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी जिला में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु मधुबनी शहर के 5 किलोमीटर की परिधि में जमीन की मांग की गयी जो अभी लंबित है । अत: मधुबनी शहर के 5 किलोमीटर की परिधि में जमीन उपलब्ध कराकर पहल कर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना शीघ्र करायी जाय ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत 80 संविदागत पदों पर नियुक्ति की गयी जिसमें से 71 ने योगदान किया । इसमें 70 बिहार राज्य से बाहर के हैं । यही स्थिति पूरे राज्य की है । कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर हुई नियुक्ति की जॉंच की जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, गैर शैक्षणिक कार्य में कितने शिक्षक प्रतिनियोजित हैं तथा कितने कनीय शिक्षक विद्यालयों के प्रभार में हैं । मैं सदन के माध्यम से जानकारी देने की मांग करता हूँ ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, औरंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत बेला ग्राम पंचायत के करमा रोड से फेसर पचरूखिया पथ भाया कुशी पथ जर्जर है । जनहित में सुचारू आवागमन के लिए उक्त पथ के पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड प्रखंड के दरियापुर, हसकर, मौलानगर डुमरा, ननहटा ग्राम में शिवहर जिला से तरियानी फीटर से लाइन मिलता है । जिसके कारण वहां के लोगों को काफी कठिनाई होती है । बेलसण्ड के लोग हैं, इसलिए बेलसण्ड फीटर लाइन से जोड़ने की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, सीतामढ़ी नगर में बस सहित भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सख्त नो-इंट्री का पालन किया जाय । सरकार पूर्व निर्धारित बस स्टैण्ड बरियापुर में अतिशीघ्र स्थापित करावें ।

टर्न-8/ज्योति/19-03-2021

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य के पंचायत वार्ड सचिव को अनुरक्षक पद पर बहाल करते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अवस्थित बैंक औफ इंडिया में कार्यरत कर्मचारी ऋषि देव को 17-03-2021 की शाम बाईक से घर जाने के क्रम में गोली मार कर हत्या कर दी गयी है अत: सरकार से मृतक परिवार की सुरक्षा एवं अपराधी की गिरफ्तारी करने की मांग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0 6 के राधा रानी कन्या मध्य विद्यालय में बच्चों की अनुपात में वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण पठन पाठन में कठिनाई होती है । वर्ग कक्ष के लिए भूमि उपलब्ध है । विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड के महाली एवं सरैया बाजार तथा पहाड़पुर प्रखंड के मिश्रराईन टोला पकड़िया बाजार से विगत 6-7 वर्ष पूर्व बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पटना के लिए चलायी जाती थी जो इधर बंद है । आम जन को पटना आने जाने में वर्तमान में काफी असुविधा होती है अत: मैं आम जन की पटना के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उक्त स्थानों पर पुन: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत शोभन में खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध का सुदृढ़ीकरण कर सड़क निर्माण से गौतम कुंड एवं सीतामढ़ी जिला की दूरी

काफी कम हो जायेगी । आम जनों को इस सड़क निर्माण से दूरी एवं समय की बचत होगी सरकार अतिशीध्र इस जनोपयोगी सड़क निर्माण हेतु उचित कार्रवाई करे ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया नवादा पी.डब्लू.डी. रोड भतुआचक मोड़ से भतुआचक गांव होते हुए बबुरा तक लगभग 7 कि.मी. जर्जर रोड की चौड़ीकरण एवं कालीकरण कराने हेतु सदन से मांग करता हूँ ।

श्री कृष्ण नंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धी प्रखंड के 19 पंचायत एवं तुरकौलिया प्रखंड के 16 पंचायतों में अवस्थित शव दाह स्थल को घेराबंदी सहित मुक्ति धाम में तब्दील करना जनहित में महत्वपूर्ण है । सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त शव दाह स्थल को घेराबंदी सहित मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, दलसिंहसराय अनुमंडल में सैकड़ों की संख्या में असंगठित रुप से प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की टीम में हिस्सा लिया है सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के हजारों खिलाड़ियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल अकादमी की स्थापना की जाय ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में फाला पंचायत के मध्य विद्यालय भेलागाछी वीरपुर में उच्च माध्यमिक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि 16-02-2015 है परंतु अबतक कार्य अपूर्ण है अत: संवेदक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिशीघ्र भवन का निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरुआ विधान सभा के तरैया प्रखंड अंतर्गत मिया बिगहा से पिपरा होते हुए वारलेस तक सड़क काफी खराब है ग्रामीण जनता को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है, अत: सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि उक्त सड़क को शीघ्र मरम्मत कराया जाय ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में एक स्टेडियम के निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा लखीसराय-एस.एच.18 पथ में भदौस मोड़ से आगे एवं मानपुर मोड़ के पास पूर्व से निर्मित पुल संकीर्ण होने से अबतक दर्जनों व्यक्तियो की दुर्घटना मे मौत हो गयी है । अतएव उक्त दोनों पुल का चौड़ीकरण जन हित में जान माल की सुरक्षा हेतु शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में सुधा फैक्ट्री एवं अन्य फैक्ट्रियों के दूषित एवं जहरीली पानी से किसानो की बर्बाद हुई फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराने एवं जल निकासी के उचित प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण राज्य स्तर पर आम गरीब, दलित, महादलित एवं अन्य समुदाय के लोगों को राशन कार्ड नहीं रहने से काफी परेशानी है । सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी नानपुर बोखड़ा में 25 प्रतिशत कार्ड से वंचित हैं जनहित में सभी वंचित परिवारो का राशन कार्ड बनाने की मांग करता हूॅं ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के ग्राम धमुआरा में श्मशान के घेराबंदी की मांग करता हूॅ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 14 शब्द ।

श्री राम चंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के अंतर्गत सुसारी पंचायत के नंदा पट्टी गांव के बेलगांव बधौल घाट तक कमला नदी के दोनों तरफ का कच्चा बांध पूर्णतः ध्वस्त हो गया है । बरसात के मौसम में गांव के सैकड़ों घर एवं हजरों एकड़ में जमीन में लगी फसल नष्ट हो जाती है, अतः कमला नदी पर सुरक्षा बांध बनाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूॅं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के नारायणपुर पी.एच.सी. के अंदर 17 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें अभी तक 4 को ही भवन मिला है । पहाड़पुर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन नहीं बना है । अतः पहाड़पुर सहित बचे हुए 9 स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन की मांग सरकार से मैं करता हूॅं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बारसोई प्रखंड के कुचिया मोड़ घाट पर पुल निर्माण की मांग करता हूॅं।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 11 शब्द ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सर्वोदय आश्रम, रानीपतरा जहॉं महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोवा भावे का आगमन एवं प्रवास हुआ था गांधी पुस्तकालय आश्रम भवन का जीर्णोद्धार सहित राजकीय धरोहर बनाने की आवश्यकता है अतः मैं सरकार से पूर्णिया सर्वोदय आश्रम, रानीपतरा को विकसित कर पर्यटक स्थल बनाने की मांग करता हूं।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के फकिरबा एवं रामगंज के बीच सीताफार पर बने कौजवे जर्जर है, इसी पंचायत के आंसुरी चौक से परासी जाने वाली सड़क के बीच सिंघिया नदी पर बने पुल की स्थिति बेहद खराब है । उक्त दोनों स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री चेतन आनंद : अध्यक्ष महोदय, कोरोना संकट के साल पूरे हुए । सभी संस्थान खुल गए । जेलों में बंदियों की मुलाकात पर रोक है । कोरोना के कारण उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया । वे अपने परिजनों-वकीलों से बातचीत और भेंट को मुंहताज है । मैं उनकी वापसी और मुलाकात शुरू कराने की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधान सभा अंतर्गत मेजरगंज रेफरल हॉस्पिटल एवं बथनाहा सी0एच0सी में आधुनिक मेडिकल उपकरण एवं डॉक्टरों की संख्या बढ़ोत्तरी की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब समय समाप्त हुआ । शेष शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी । शून्यकाल समिति में इस पर विचार किया जायेगा ।

(पढ़ी मानी गयी शून्यकाल सूचनाएं)

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत नगर पंचायत बहादुरगंज बाजार महा जाम के नाम से जाने जाना लगा है । जाम के कारण छात्रों का स्कूल लेट, डॉ0 को अस्पताल लेट, कर्मचारियों का कार्यालय लेट होना रोज की नीयति बन गई है । सरकार से ओवर ब्रिज की मांग करता हूं ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के विभिन्न पंचायत, खासकर कोचाधामन प्रखण्ड के हल्दीखोड़ा, मजकूरी, विशनपुर, केरी बिरपुर, बलिया और सुन्दरबाड़ी पंचायत क्षेत्र में बीती 11.03.2021 की रात को भयानक ओलावृष्टि हुआ था । जिनसे मक्का और गेहूं की खेता को नुकसान हुआ था । सरकार से किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के सेलरा पंचायत में जवाहर सिंह के ढाला से कमलानदी के तरफ जाने वाली सड़क 1987 के बाढ़ में टूट कर गड्ढ़ा में तब्दील हो गया । उक्त जगह पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, सरकारी पत्रांक- 2879, 05.12.2019, वक्फ बोर्डो को निर्देशित किया गया है कि वक्फ सम्पत्तियों का ब्यौरा प्रत्येक जिला पदाधिकारी को भेजे, किंतु बोर्डो ने अब तक यह ब्यौरा जिला पदाधिकारियों को नहीं भेजा है । सरकार से मांग करता हूं कि वक्फ बोर्डो को निर्देशित करें कि अपना वक्फ ब्यौरा जिला पदाधिकारियों को अविलम्ब भेजें ।

डॉ0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत बनकटवा और छौड़ादानो प्रखण्ड को जोड़ने वाली गोला पकड़िया घाट के समीप तियर नदी पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण करावे ।

श्री प्रणव कुमार: अध्यक्ष महोदय, मुंगेर में किला क्षेत्र अंतर्गत लोक नायक जय प्रकाश गार्डन में लोक नायक जय प्रकार जी की प्रतियां लगवाने की मांग करता हूं ।

श्री सुधाकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के प्रखण्ड दुर्गावती अंतर्गत बहेस गांव में कफ सिरप पीने से एक डॉक्टर की मौत और तीन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई हैं । प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाले दुकानदार पर जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत रफीगंज, गोह, हसपुरा, ओबरा एवं औरंगाबाद प्रखंडों को पुनर्गठित करते हुए चौथू, प्रखंड के गठन का प्रस्ताव 2010 में जिला से सरकार को भेजा गया जो आज तक लंबित है ।

अत: उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पौथू प्रखंड का गठन किया जाय।

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर के खराटी गांव निवासी प्रवासी मजदूर 22 वर्षीय श्याम बहादुर यादव की मृत्यु कोरोना काल में हरियाणा, पलवल से गांव लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में हो गई थी । परिजनों को 20 लाख रूपये मुआवजे की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत मैरवा बाजार मुख्य नाला जाम होने के कारण बड़गांव पंचायत की ग्राम-बड़गांव, बैकुण्ठछापर, करजनिया, कविता आदि गांवों के सैंकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो जाता है । जनहित में मैरवा शहर की मुख्य नाला चौड़ा कर जल निकासी कराने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलांतर्गत मोहनिया प्रखण्ड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कटरा कला की दलित शिक्षिका कुमारी रंजन लता का विद्यालय प्रभारी का डी0ई0ओ0 द्वारा लंबे समय से उत्पीड़न, अपमान व वेतन भुगतान न करने के मामले स्थानीय अखबारों व सोशल मीडिया पर आये हैं । त्वरित कारवाई की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, बक्सर के डॉ0 के के मण्डल महिला महाविद्यालय सहित अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों के अनुदान राशि का भुगतान सत्र 2009-2012 से ही लंबित है । मैं सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के अनुदान राशि की शीघ्र भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री संतोष कुमार मिश्र: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड स्थित ग्राम- चिलबिली तथा कैमूर जिला के कुदरा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम- हरदासपुर, जो कि दोनों ही गांव परस्पर आर-पार कुदरा नदी के किनारे पर स्थित हैं ।

अत: दोनों जिलों के बीच सुगम परिचालन एवं बेहतर संपर्क हेतु कुदरा नदी पर उक्त ग्रामद्वय के बीचों बीच पुल निर्माण की प्रखर मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखण्ड के ग्राम निजामपुर होकर राम जानकी पथ निर्माण कार्य होने से अस्सी महादलित परिवार बेघर हो रहे हैं । इन महादलितों के पास किसी प्रकार की जमीन नहीं है, जहां घर बना सकें ।

अत: सड़क को उत्तर की तरफ थोड़ा मोड़ देने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के हत्यारों के राजनीतिक संरक्षण और हत्याकांड का विरोध कर रही जनता को गिरफ्तार करने की घटना में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय उघाडीह के क्रीडा मैदान में मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय ।

श्रीमती रेखा देवी: अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी से डॉ0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दनियावां पटना में प्रतिनियुक्त किया गया है । इन्हें स्थायी रूप से मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में पदस्थापित किया जाय ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों में सिंचाई के लिए उत्तरी-कोयल नहर परियोजना का निर्माण हुआ था, लेकिन इससे औरंगाबाद जिला के 50 प्रतिशत मांग में ही पटवन हो रहा है । मैं मेन कैनाल से लाइनिंग कर पूरे औरंगाबाद जिले में पटवन की सुविधा देने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती अरूणा देवी: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखण्ड अंतर्गत सभी शर्त्तों को पूरा करने वाला घमौल बाजार को प्रखण्ड बनाने की मांग करती हूं ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अन्तर्गत टरवां मौजे बड़ईया टोला और बिन्दुसार गांव के बीच, ओरमा मौजे के सामने नदी पर तथा नवीगंज और जिगना के बीच दाहा नदी पर पुल का निर्माण जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत आता है । जनहित में उक्त तीनों पुलों का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया मनुआपुल वायां योगापट्टी रतवल पथ सुनिश्चित अवधि में संवेदक द्वारा निर्माण नहीं हुआ । नई निविदा कराके इसे पूर्ण करवाई जाय ।

श्री मनोज कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कई वर्षों से बंद पड़े मोतिहारी और चकियां सुगर मिल को पुन: चालू कराने की मांग मैं सदन से करता हूं ।

श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन: अध्यक्ष महोदय, साहेबपुरकमाल प्रखण्ड अन्तर्गत जौहरी लाल उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है । अतएव छात्र-छात्रा हित में जर्जर विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार/निर्माण शीघ्र कराया जाय ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, आरा जिलान्तर्गत कोईलवर स्थित सिमरीया मौजा के खाता सं0-204, 215 खेसरा- 856, 761 में बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन का भू-स्वामियों द्वारा विरोध करने पर झूठा मुकदमा में फंसाने के साथ ही जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है ।

अत: अवैध बालू खनन पर रोक के साथ ही बालू माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करें ।

श्री राजेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ प्रखण्ड के सिंगहा, मिर्जापुर, बरीइसर, वरिसयभान में जल जमाव रहने के कारण हजारों एकड़ में खेती प्रभावित है । जल निकासी हेतु खाड़ की सफाई कराने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास: अध्यक्ष महोदय, पैमार घाट, पुनपुन के आवासीय भूखंड से 11000 हजार विद्युततार जोड़ने से भारी क्षति है, रास्ता बदलने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू: अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिले के पटोरी के जीबी इंटर स्कूल परिसर में स्थापित लालू-राबड़ी टाऊन हॉल में पुलिस में का कब्जा है । इससे स्कूली छात्रों एवं आमजन को सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में परेशानी होती है । मैं इस टाऊन हॉल को पुलिस के कब्जे से मुक्त कराने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखण्ड मझौड़ा गांव में महादलितों की बस्ती है । जहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है । सड़क का निर्माण अविलम्ब कराया जाय ।

श्री शम्भुनाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के चक्की प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय कन्या प्लस 2 उच्च विद्यालय चक्की की स्थापना 30 जून, 1999 में हुई थी, उक्त विद्यालय 5 कमरों का है, पर प्लस 2 के शिक्षक, लिपिक, आदेशपाल नहीं है । सरकार उक्त विद्यालय में भवन बनाने के साथ शिक्षक, लिपिक एवं आदेशपाल की नियुक्ति करावें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा के गालपाड़ा प्रखण्ड के पीरनगर पंचायत के ललिया गांव में हरदेव मंडल स्व0 कामेश्वर मंडल एक ही परिवार के सदस्यों को निरंतर वर्ष 2009 से 15.03.2021 तक तीन लोगों की हत्या कर दिया गया है, उस परिवार एवं ग्रामीणों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु ललिया गांव में पुलिस चौकी स्थापित करावें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी विधान सभा क्षेत्र के शेरघाटी, आमस, डोभी प्रखंडों में गरीबों के बीच वितरण किया जाने वाला अनाज का बंदरबांट हो रहा है । उनसे पूरी रकम लेने के बावजूद उन्हें कम अनाज दिया जाता है ।

अत: मैं उच्चस्तरीय जांच की मांग करती हूँ ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डी0एल0एड0 की परीक्षा आयोजित होनी थी, इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 700-1000 रुपये शुल्क भी लिया गया था । परीक्षा निरस्त होने के बाद भी शुल्क वापस नहीं किया गया ।

अत: मैं सरकार से परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग करता हूँ ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, लॉकडाउन से 25,000 निजी विद्यालयों के लाखों कर्मी एवं संचालक संकट में हैं ।

अत: वर्ष 2017 से आर0टी0ई0 एक्ट के बकाया राशि का भुगतान, कर्मियों को अनुदान ऋणों का ब्याज रहीत किस्तों में अदायगी, होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल एवं वाहनों के टैक्स माफी की मांग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखण्ड स्थित उत्क्रमित किये गये उच्च विद्यालय मरूई एवं उच्च विद्यालय कोशी में उच्च विद्यालय अनुरूप भवन नहीं रहने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है ।

अत: सरकार से उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखण्ड अंतर्गत अमडंडा पंचायत के जगन्नाथपुर गांव से डोभी गांव के बीच गेरुआ नदी पर पक्का पुल के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प0 चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में प्रलयकारी बाढ़ से गन्ना किसानों की फसल बरबाद हुई थी ।

गलत सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तुत करने के कारण शत प्रतिशत किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

मैं सभी किसानों के मुआवजा के भुगतान राशि की मांग करती हूँ ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महनार अनुमंडल के ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर ही खुलता है, पदस्थापित कर्मचारी कार्यालय को अपने घर से चलाते हैं, सरकार इस पर उचित कार्रवाई करें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, भारत माला परियोजना अंतर्गत हाजीपुर-दरभंगा राजमार्ग निर्माण हेतु समस्तीपुर जिला के ताजपुर मौजा शाहपुर बधौनी, मोहीउद्दीनपुर रजवा में बड़ी आबादी व धार्मिक स्थल प्रभावित हो रहा है ।

अत: मैं मांग करता हूँ कि 200 मीटर आगे कर मौजा रहीमाबाद, रजवा शाहपुरबधौनी, भेरोखड़ा को बाईपास कर अधिग्रहण करें ।

टर्न-9/अभिनीत-पुलकित/19.03.2021

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री कुमार शैलेन्द्र, अरूण शंकर प्रसाद एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (श्रम संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: आपकी सूचना पढ़ी हुई है ।

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर विस्तार पूर्वक दिया हुआ है । वक्तव्य सरकार का दिया हुआ है पहले से, अगर सदस्य...

अध्यक्ष: माननीय कुमार शैलेन्द्र जी, उत्तर मिला हुआ है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, ऑनलाइन नहीं है, तो कैसे मिलेगा उत्तर ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, ऑनलाइन किया हुआ है । पिछले दिन भी छपा हुआ आया है उत्तर ।

अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महादेय, इसका बहुत लम्बा उत्तर है ।

राज्य के सात निश्चय अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से नॉलेज पार्टनर के रूप में एम0के0सी0एल0 का चयन किया गया, जिसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदत्त है । तदोपरांत विधि विभाग से एकरारनामा पत्र की विधिक्षा कराकर एम0के0सी0एल0 एवं श्रम विभाग के बीच 15 जुलाई, 2016 को एकरारनामा निष्पादित किया गया । एकरारनामा की अवधि पांच वर्षों की है । मूलत: इनके प्रश्न का उत्तर है, एम0के0सी0एल0 को भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी थी । वित्त विभाग द्वारा परामर्श लिया गया कि एकरारनामा में निहित शर्त के आलोक में प्रशासी विभाग में किये जा रहे भुगतान की समीक्षा करना वित्त विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि यह प्रशासी विभाग का प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यक्षेत्र का विषय है । इस पर प्रशासी विभाग को स्वयं ही यथोचित निर्णय लेना है । जो एम0के0सी0एल0 के साथ एकरारनामा था हुजूर, वह पांच विषयों पर उनको काम करना था और यह पाया गया है कि पांच विषयों पर उन्होंने काम किया है । एक जगह, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि पोर्ट्ल बनाकर के और कितने छात्र पास हुए, उसको ट्रैक करना उनका काम था । जो पोर्टल समय पर एम0के0सी0एल0 के द्वारा 2017 में बनाना था जो नहीं बन पाया, मैं इसको मानता हूं और वह 2020 में बना है । भूलवश या किसी गलती के कारण विभाग के द्वारा उसको पेमेंट इन अवधि का भी हुआ है जिस समय उन्होंने पोर्टल नहीं बनाया था । इसमें एक राशि भुगतान की गयी है, वह लगभग 24 लाख 59 हजार रुपये की राशि है, जिसको विभाग द्वारा जब आगे पेमेंट होगी तो उस पेमेंट को काटकर के विभाग ने सूचना संबंधित एम0के0सी0एल0 को दे दी है । महोदय, यह विषय विकासशील कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान को हमेशा ही अंतिम भुगतान के पूर्व सामंजित कर लिया जाता है ।

अत: उपरोक्त शीर्ष में कुल भुगतान 24 लाख 59 हजार में से कटौती की राशि निर्धारित करने के पश्चात् एकरारनामा की शर्त्तों के आधार पर नोटिस निर्गत्त करते हुए विधिसम्वत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह बहुत प्रभावी ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह महाराष्ट्र की कम्पनी है । यह कम्पनी महाराष्ट्र से आकर यहां पर 2016 में ही महोदय युवाओं के लिए प्रशिक्षण देते हैं, इनको नॉलेज पार्ट्नर के रूप में लिया गया । महोदय, प्रशिक्षण देने के उपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान भी करना था लेकिन महोदय, यह प्रावधान तीन वर्ष तक 2016 में ही करना था ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । समय कम है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, थोड़ा लम्बा समय देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज साढ़े 12 बजे ही सभा की कार्यवाही स्थगित की जायेगी ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, 2020 में इन्होंने पोर्टल बनाया, क्या महोदय, इस बीच में जो नियोजन करना था जो यहां के आयोजक थे, वे युवा आज तक नियोजित नहीं हो सके । महोदय, इसके लिए जवाबदेह कौन है ? उसके बाद भुगतान इस बीच में 50 करोड़ से अधिक का हुआ है । महोदय, वह 50 करोड़ कहां गया, मेरा सीधा सवाल है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, 50 करोड़ का भुगतान इसमें नहीं हुआ है । पोर्टल जो बनाना था, पोर्टल के लिए पर स्टूडेंट 27 रुपये 75 पैसे अधिक एम0के0सी0एल0 को पेमेंट हो गया, हमने उसको चेक भी किया, कराया है विभाग से उसने उसमें पोर्टल के एवज में बिल रेज किया है उसमें उसकी गलती पकड़ी भी गयी है, उसकी जांच हम विभागीय स्तर पर करा रहे हैं और जो कठोरतम कार्रवाई इसमें विधिसम्मत होगा हम करने के लिए तैयार हैं हुजूर ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, इसमें 11 लाख 28 हजार एडमिशन लेने थे और इन्होंने, केवल 8 लाख 24 हजार पास आउट हुए हैं । महोदय, ये 3 लाख एक्स्ट्रा पैसा ले लिये हैं महोदय, एम0के0सी0एल0 की कम्पनी ने । महोदय, मंत्री महोदय, स्वीकार कर रहे हैं । मैं केवल आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि क्या विशेष कमेटी गठित कर यह चाहते हैं कि इसकी जांच कराना ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, विभागीय स्तर पर हम इसकी जांच करा रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सदन की कमेटी से जांच करावा दीजिये, यह मामला बहुत गंभीर है और यह वित्तीय मामला है ।

श्री अवध विहारी चौधरी: महोदय, इस समिति का गठन कराकर के और सारे प्रकरण जो हैं इससे संबंधित उसकी जांच कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: ठीक है, अरूण शंकर जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, पांच वर्षों के अंदर में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था इस कम्पनी को, एम0के0सी0एल0 को । महोदय, यह महाराष्ट्र की कम्पनी है, जैसा कि मुझे सूचना है कि यह महाराष्ट्र में पहले से ब्लैकलिस्टेड है और यह कई फर्जी बिल का भुगतान लिया है, जिसकी कॉपी मेरे पास है और जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट की भी कॉपी है ।

अध्यक्ष: सदन पटल पर रख दिया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, इसकी जांच कराई जाय, इसमें करोड़ों का गबन है । 7 लाख 65 हजार का तो एक फर्जी बिल है...

(व्यवधान)

और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल कर रहा है । इसलिए अविलम्ब ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई हो.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबों की भावना को देखते हुए आसन सदन की एक कमिटी बनायेगा ।

(व्यवधान)

जो भी आपके पास कागजात हैं, उन्हें सदन पटल पर रख दीजिये ।

सर्वश्री दामोदर रावत, जनक सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री दामोदर रावत अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री दामोदर रावत: महोदय, ''जमुई जिला अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त एवं वेतनमान की प्रत्याशा में वर्ष 2010 (स्थापना काल) से ही नियत वेतन पर कार्यरत हैं । विद्यालय के कर्मियों द्वारा सतत् कार्यशील रहने के परिणाम स्वरूप इस विद्यालय के छात्र/छात्राओं ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं । तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सिमुलतला शिक्षा सोसायटी की आम सभा की बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कार्यरत कर्मियों को नेतरहाट के समान वेतनमान एवं सेवाशर्त्तें प्रदान करने का निर्णय लिया गया था किन्तु उसका कार्यान्वयन अबतक नहीं हो पाया है । प्रबंध समिति की कई बैठकों में इस आशय की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति से की गई है । ठीक इसके विपरीत कार्यकारिणी समिति द्वारा खुला विज्ञापन निकालकर कार्यरत कर्मियों के पदों सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है, जो उक्त कर्मियों के साथ अन्याय है ।

अत: छात्रहित एवं विद्यालयहित में सिमुलतला कार्यकारिणी समिति के निर्णय को निरस्त करते हुए कार्यरत कर्मियों को नेतरहाट के समान सेवाशर्त्तें एवं वेतनमान प्रदान करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी विधान परिषद् में हैं, इसके जवाब के लिए समय चाहिए ।

सर्वश्री अखतरूल ईमान, शाहनवाज एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान । पढ़ा हुआ है ।

श्री अखतरूल ईमान: नहीं सर, समय के बारे में बोल रहे थे ।

अध्यक्ष: एक मिनट अब समय बचा हुआ है, पढ़ लीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, ''सीमांचल के जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में बहने वाली महानन्दा, कनकई, बकरा, परमान, डोंक इत्यादि नदियों से विगत 4 वर्षों में लगातार भीषण कटाव में पीपलतोड़ा, चैनपुर, गोश्तरा, महसेल, खाता टोली, खाड़ी बसौल, रसेली कोचका, पर्सराय, सीमलबाड़ी, हजारिया, तेयर पाड़ा, महेश बथना, निशन्द्रा एवं चनकी इत्यादि गांवों में हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं । उक्त स्थानों पर अब भी कटाव जारी है एवं कई सरकारी भवन, विद्यालय एवं पक्की सड़कें भी नदियों में विलीन हो गये हैं ।

सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन स्थलों में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया जा सका है और न कोई कारगर योजनाएं ही बनाई गई हैं ।

अत: उपरोक्त स्थानों पर यथाशीघ्र ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । संक्षेप में पढ़ दीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में पढ़ देता हूं थोड़ा है, क्योंकि यहां पर कोई बांध नहीं है और हमलोगों का महानन्दा का फेज-1, फेज-2, फेज-3, फेज-4, फेज-5 में होना है । एक फेज हो गया है और में लैंड इक्वेशन का काम चल रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ललित जी सदन के अंदर खड़े होकर के बात मत कीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: महोदय, और महानन्दा बाढ़ प्रबंधन परियोजना के तहत महानन्दा एवं महानन्दा की बेसिन की नदियों तथा मेचई, कनकई, बकरा, परमान पर कुल 1194 किलो मीटर नये तटबंध का निर्माण एवं 95.20 किलो मीटर पुराने तटबंध का ऊंचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना है और लैंड इक्वेशन का कार्य चल रहा है ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्य, पूरक पूछना है ?

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, माननीय मंत्री जी ने .....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हम समय से बंधे हैं ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, समय से बंधे हैं तो इसके बाद कर दिया जाय । महोदय, बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष: अब शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएँ दिनांक 23 मार्च, 2021 को ली जायेंगी ।

माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/हेमन्त-धिरेन्द्र/19.03.2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, इतने सारे लोग एक साथ खड़े होंगे और बोलेंगे तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती है । कोई बात प्रोसीडिंग में भी नहीं जा रही है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, मंजिल जी, अब सुनियेगा तब न । विधेयक के लिए तारीख निर्धारित है । आज गैर सरकारी संकल्प होगा, अपने-अपने स्थान को ग्रहण करिये ।

(व्यवधान जारी)

पूरे सदन की भावना नहीं है, आप ही लोगों की भावना है, पूरा सदन तो बैठा हुआ है । पहले अपने स्थान पर जायं सब लोग । जो विषय पहले से निर्धारित है उस विषय को होने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में गैर सरकारी संकल्प है और माननीय सदस्यों का जो संकल्प है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : राज्य के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, माननीय सदस्यों के क्षेत्र के जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी को लेकर सदन में सदस्य गैर सरकारी संकल्प देते हैं । महोदय, जिन बातों को माननीय सदस्य उठा रहे हैं, जब उसकी चर्चा होगी, तब इसको इशू बनाये और उस समय प्रतिरोध दर्ज करें तो ज्यादा अच्छा होगा और अभी जो समय है वह मेम्बर का समय है । इस समय का दुरुपयोग नहीं करें, समय का सदुपयोग करें । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी जगह पर जायं और गैर सरकारी संकल्प लेने दिया जाय ।

अध्यक्ष : सभी सदस्य अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर बैठें और सुनिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, जिस दिन यह आयेगा, आपको संशोधन का अवसर मिलेगा ।

(व्यवधान जारी)

सदन का कार्य नियमावली से चलेगा, जो विषय तय है, वह उस दिन ही लिया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

देखिये 23 तारीख को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य तय हैं, तो जो जिस दिन तय है, वही होगा । आज गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर बैठें । आप ही लोगों के सारे गैर सरकारी संकल्प हैं । कई माननीय सदस्यों को तो पहली बार गैर सरकारी संकल्प का अनुभव होगा ।

(व्यवधान जारी)

अब हो गया, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अरूण जी आपकी आवाज कोई सुन रहा है ? नारा भी लगाइयेगा, बोलियेगा भी तो कोई सुनेंगे ? अपने स्थान पर जाइयेगा, तब न सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

यहां से कोई भी बात हम नहीं सुनेंगे, स्थान से बोलियेगा तभी सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

माननीय वीरेन्द्र जी, माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायं, तभी आप अपनी बात को रखेंगे । जाइये, सब लोग अपने जगह पर ।

(व्यवधान जारी)

बाकी लोगों को भी तो आप लायें ।

(व्यवधान जारी)

कैसे सुन लेंगे ? ये लोग कैसे सुनेंगे ?

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप जिस तरह से कर रहे हैं, आप कहते हैं कि लोक सभा तक हम रहे हैं, यह शोभा देता है ?

(व्यवधान जारी)

चलिये । यह विधेयक आप लोगों को भेजा गया है और 01:00 बजे अप0 तक इस पर संशोधन भी मांगा गया था ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-11/सुरज-संगीता/19.03.2021

अध्यक्ष : सुन लीजिये, माननीय सदस्यगण कैमरे के अंदर वे सारे दृश्य आ रहे हैं जो आप अपना कृत्य सदन में कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

ये उचित नहीं है । राजकीय विधेयक की तिथि तय है ।

(व्यवधान जारी)

अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । आपलोग अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, कोई आवाज नहीं आ रही है । आप जबतक अपना स्थान नहीं ग्रहण करेंगे कोई...

(व्यवधान जारी)

अब सुन लीजिये, माननीय सदस्य, अब सुनिये ।

(व्यवधान जारी)

नहीं सुनना है ?

(व्यवधान जारी)

यह सदन तो प्रक्रिया तथा नियमावली से ही चलेगी और जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलेगा । हर काम के लिए तिथि तय है और नियम से ही सदन चलेगा, नियमावली से सदन चलेगा । आपलोग अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, ये उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा कागज फाड़कर उड़ाया गया)

सुन लीजिये, आप अपने आचरण से क्या संदेश देना चाहते हैं । क्या इस तरह से कागज फाड़ देने से आपका संदेश पूरा हो गया ?

(व्यवधान जारी)

नहीं, आप सभी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और संसदीय परंपराओं को मानना चाहिये । सदन नियम से चलेगा, विधेयक का समय तय है, चर्चा होगी उस समय अपनी बात को रखेंगे ।

(व्यवधान जारी)

उंगली नहीं । गलती मत करिये माननीय सदस्य, ऊंगली मत दिखाईयेगा । ये गलती नहीं करियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अब बैठ जाइये, हो गया । आप सभी लोग वरीय सदस्य हैं । सब जानते हैं कि सबका समय तय है, तिथि तय है, इसका जिस दिन तिथि तय है उस दिन संशोधन आयेगा उस दिन आपकी बात सुनी जायेगी, रखी जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

क्या चाहते हैं आपलोग, सदन स्थगित कर दें ?

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, अपनी जगह पर जाइये । आप माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठ जायं ।

(व्यवधान जारी)

ऐसे नहीं चलता है, जो नियमावली है उसी के हिसाब से चलेगा । आप भी अपना स्थान ग्रहण करिये ।

(व्यवधान जारी)

पहले अपने स्थान पर बैठ जाइये । अब बैठ जाइये । शांत रहिये ।

(व्यवधान जारी)

अब सुन लीजिये, माननीय सदस्यगण गैर सरकारी संकल्प, आज 104 नए माननीय सदस्य भी हैं, पहली बार इससे रूबरू होने जा रहे हैं और...

(व्यवधान जारी)

अब सुनियेगा नहीं ?

(व्यवधान जारी)

आप सब अपने स्थान पर जाकर बैठें । जाइये अपने स्थान पर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

पहले बैठाईये तो ! उसके बाद न कुछ सुनेंगे हम, कैसे सुनेंगे ?

(व्यवधान जारी)

वेल में रहकर किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 43 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 23 मार्च, 2021 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।